भारतीय पुनर्वास परिषद्

सत्यमेव जयते

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) में प्रमाण-पत्र

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या

संस्करण – 1.1

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

भारत सरकार

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

सर्वाधिकार सुरक्षित

यह दस्तावेज़ भारतीय पुनर्वास परिषद् की पूर्णतः संपत्ति है। इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा आरसीआई की पूर्व अनुमति के बिना रिट्रीवल प्रणाली में पुनःप्रकाशित, संग्रहीत या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस दस्तावेज़ में व्यक्त विचार लेखक के हैं न कि आरसीआई के।

आरसीआई के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट ***www.rehabcouncil.nic.in*** पर देखी जा सकती है

मार्च, 2021 फाल्गुन 1942 (शक)

सत्यमेव जयते

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) में प्रमाण–पत्र

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या

संस्करण – 1.1

भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

भारत सरकार

संचालन समिति :

श्रीमती शकुन्ताला डौले गामलिन, भा.प्र.से.
सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्षा, भारतीय पुर्नवास परिषद्

श्रीमती तारिका रॉय,
संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. सुबोध कुमार,
सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली

विकास समिति :

पाठ्यक्रम अनुदेशक :

डॉ. नाथन ग्रिल्स,
एसोसिएट प्रोफेसर, नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हैल्थ (एनआईजीएच),
मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया

प्रो. लिंडसे गेल,
एसोसिएट प्रोफेसर, नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हैल्थ (एनआईजीएच),
मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया

मॉड्यूल I : समावेशी सामुदायिक विकास (आईसीडी)

श्री कार्मो नोरोन्हा,
कार्यकारी निदेशक, बेथानी सोसायटी, शिलांग

श्री पंकज मारू,
संस्थापक अध्यक्ष, स्नेह, नागदा, मध्य प्रदेश

मॉड्यूल II : आकलन और हस्तक्षेप (ए एण्ड आई)

डॉ. भूषण पुनानी,
कार्यकारी सचिव, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री जुबिन वर्गीज,
ईएचए अस्पताल, देहरादून

मॉड्यूल III : व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास (पीबीआरपी)

श्रीमती सारा वर्गीज,
कंट्री डायरेक्टर, क्रिस्टोफेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, बैंगलोर

सुश्री जेचिन वेलेवन,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

सामग्री डेवलपर और संपादक :

प्रो. सुजाता भान,
विभाग प्रमुख, विशेष शिक्षा, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई

डॉ. वर्षा गट्टू,
विभाग प्रमुख, विशेष शिक्षा, एवाईजेएनआईएसएचडी (दिव्यांगजन), मुंबई

यूनिट लेखक :

श्री अखिल पॉल,
निदेशक, सेंस इंटरनेशनल इंडिया, अहमदाबाद

सुश्री नंदिनी रावल,
कार्यकारी निदेशक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री विमल थवानी,
परियोजना निदेशक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री किन्नरी देसाई,
परामर्शी प्रबंधक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री एडलिन सिथर,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

श्री विशाल गुप्ता,
कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएचएआई), हैदराबाद

श्री उमेश,
क्रिस्टोफ़ेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, दिल्ली

सुश्री लीला एग्नेस,
होली क्रॉस सोसाइटी, बैंगलोर

सुश्री फेयरलेन सोजी,
क्रिस्टोफ़ेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, बैंगलोर

श्री शिशिर कुमार,
नमन जबलपुर, मध्य प्रदेश

सुश्री मेघना कश्यप,
मनोवैज्ञानिक, बैंगलोर

श्री भरत जोशी,
प्रबंधक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

श्री जगन्नाथ मल्लिक,
ऑर्थो– प्रोस्थेटिक इंजीनियर, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

कार्यक्रम समन्वयक :

श्री संदीप ठाकुर, एसीई, आरसीआई

विषय–सूची

प्रस्तावना 1

सीबीआईडी सक्षमताएँ 2

समावेशी सामुदायिक विकास 2

आकलन और हस्तक्षेप 3

व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास 4

प्रगामी सक्षमता की परिकल्पना 5

पाठ्यक्रम के दौरान उत्तरोतर सक्षमता–वर्धन 5

सक्षमता आधारित शिक्षा में शिक्षण और अधिगम संबंधी आवश्यकताएँ 5

पाठ्यक्रम से प्राप्त परिणाम 6

पाठ्यक्रम की माह–दर–माह की रूपरेखा 8

पहला माह : 8

दूसरा माह : 9

तीसरा माह : 11

चौथा माह : 12

पाँचवाँ माह : 14

छठा माह : 15

व्यावहारिक कार्य प्रारंभ करने से पहले न्यूनतम सक्षमता प्राप्त करने संबंधी आवश्यकताएँ 17

उपस्थितिः 17

परीक्षा–योजनाः 17

मूल्यांकन प्रक्रियाः 17

व्याख्यात्मक टिप्पणियां – चरण–दर–चरण 31

आकलन और हस्तक्षेप 31

व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास 32

समावेशी सामुदायिक विकास 33

असाइनमेन्ट और नियत कार्य – चरण–दर–चरण 34

पहला चरण 34

दूसरा चरण खंड 1 36

दूसरा चरण खंड 2 38

दूसरा चरण खंड 3 39

तीसरा चरण 40

प्रस्तावना

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) में प्रमाणपत्र 6 माह का क्षमता—आधारित पूर्णकालिक व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा तथा उनके लिए मेलबोर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया गया है। यह शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण (आईएससीईडी) (संयुक्त राष्ट्र संघ 2011)[1] में यथा निर्धारित लेवल—4 (माध्यमिकोत्तर, गैर विश्वविद्यालयीन) अर्हता की आवश्यकता के अनुरूप है। भारतीय पुनर्वास परिषद् इसका प्रत्यायन तथा पेशकश करती है।

इस पाठ्यक्रम की अवधि 24 सप्ताह है। सप्ताह में 30 घंटे (प्रतिदिन 6 घंटे)[2] पढ़ाई की जाती है। सक्षमता—आधारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप व्यावहारिक—सैद्धान्तिक शिक्षण का अनुपात 60:40 है।

पाठ्यक्रम में तीन मुख्य निष्पादन क्षेत्र शामिल हैं :

1. समावेशी सामुदायिक विकास (आईसीडी) — आबंटन 40 प्रतिशत
2. आकलन और हस्तक्षेप (ए एण्ड आई) — आबंटन 40 प्रतिशत
3. व्यावसायिक व्यवहार एवं चिंतनशील अभ्यास (पीबी एण्ड आरपी) — आबंटन 20 प्रतिशत

राज्य या केंद्र के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एस.एस.सी. (10वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश के समय 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कोई भी उम्मीदवार पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी के रूप में पंजीकरण करवा सकता है। दिव्यांगजनों, महिलाओं और अन्य अधिकारहीन समूहों के व्यक्तियों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सीबीआईडी का नया फील्डवर्कर दिव्यांगजनों को उनके ही समुदाय में सहयोग कर सकता है तथा दिव्यांग मित्र के रूप में उन्हें और अन्य सामान्यजनों को साथ लाकर सभी के समावेशी विकास को आसान बना सकता है। प्रमाणित कर्मी के रूप में दिव्यांग मित्र सरकारी या अन्य गैर सरकारी एजेंसियों और संगठनों, औपचारिक और गैर औपचारिक दोनों क्षेत्रों, के साथ कार्य कर सकता है। दिव्यांग मित्र अपनी क्षमता से सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, दिव्यांगजनों की जीवन शैली को उन्नत बना सकते हैं तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, कार्यस्थलीय और वित्तीय समावेशन को भी सुकर बना सकते हैं। वे स्थानीय प्राधिकारियों और स्वयंसेवी एजेंसियों के बीच उत्तम कड़ी बन सकते हैं। दिव्यांगजनों को उनके अधिकार और हक दिलाने तथा उनमें छिपी क्षमताओं को बाहर लाकर उद्देश्यपूर्ण सामुदायिक जीवन का आनंद लेने में उनकी मदद कर सकते हैं।

[1]http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf

[2]एक सत्र 90 मिनिट का रखने का सुझाव है। इससे एक दिन में 4 सत्र, एक सप्ताह में 20 सत्र और पूरे पाठ्यक्रम में 480 सत्र होंगे। सत्र कम या ज्यादा अवधि के हो सकते हैं, किंतु सप्ताह के लिए जितने सत्र निर्धारित हैं, वे अवश्य पूरे होने चाहिए।

सीबीआईडी सक्षमताएँ

तीन मुख्य निष्पादन क्षेत्रों में 11 सक्षमता–परीक्षण इकाइयाँ रखी गई हैं

समावेशी सामुदायिक विकास	आकलन और हस्तक्षेप	व्यवसयिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास
1. समुदाय आधारित समावेशी विकास और इसके आधार के व्यावहारिक ज्ञान का प्रदर्शन	1. दिव्यांगता से संबंधित अनुभव, कानून और समकालीन समझ का प्रदर्शन	1. भूमिका से संबंधित अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति
2. समुदाय का विवरण तैयार कर उन्हें सहभागी बनाना	2. आकलन और नियोजन की जिम्मेदारी संभालना	2. कार्यों और जिम्मेदारियों का संचालन और प्रबंधन
3. सरकारी ढाँचे के साथ कार्य	3. ज्ञान, संयोजन और रेफरल में सहयोग	3. वैयक्तिक कुशलक्षेम बनाए रखना और शिक्षा जारी रखना
4. सामुदायिक नेतृत्व और कार्रवाई में सहयोग	4. बहुक्षेत्रीय मध्यस्थता में सहायक बनना और मध्यस्थता करना	

ये सक्षमता–परीक्षण इकाइयाँ ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और मूल्यों का सहमत व्यापक सेट है, जो भारत के सीबीआईडी विशेषज्ञों के अनुसार किसी फील्डवर्कर में होना ही चाहिए, तभी वह स्वतंत्र रूप से और उत्तम तथा सुरक्षित रूप से समुदाय आधारित समावेशी विकास के लिए कार्य कर सकता है। शिक्षण और अधिगम के प्रयोजन से इन क्षमता इकाइयों को आगे 36 मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है, जिसे अधिगम परिणाम कहा गया है।

समावेशी सामुदायिक विकास

1. *समावेशी विकास और उसके आधारभूत विचार का व्यावहारिक ज्ञान प्रदर्शित करता है*

   1.1. दिव्यांगता और समावेश के बारे में पारंपरिक और समकालीन समझ में अंतर करता है

   1.2. दिव्यांगता और समावेश से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों को लागू करता है

2. *समुदाय का विवरण तैयार कर उन्हें सहभागी बनाता है*

    2.1. सहभागिता और आस्ति–आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है

    2.2. सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण की योजना बनाता और कार्यान्वित करता है

3. *स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है*

    3.1. सरकार का पक्ष–पोषण और सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है

    3.2. समावेशी प्रतिबद्धता और अनुपालन में सहयोग करता है

4. *सामुदायिक नेतृत्व और कार्रवाई में सहयोग करता है*

    4.1. परिवर्तनकारी घटक के रूप में कार्य करता है

    4.2. नेटवर्क स्थापित करता है और पक्ष–पोषण तथा कार्रवाई के लिए समूहों के साथ कार्य करता है

    4.3. स्थानीय नेतृत्व को सहयोग देता है

आकलन और हस्तक्षेप

1. *दिव्यांगता से संबंधित अनुभव, कानून और समकालीन जीवन संबंधी समझ का प्रदर्शन*

    1.1. दिव्यांगता से व्यक्ति और परिवार के कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार करता है

    1.2. सरकारी योजनाओं और मदद के प्रावधानों तथा कार्यविधियों के लाभ लेता है

2. *आकलन और नियोजन की जिम्मेदारी लेता है*

    2.1. सकारात्मक कार्यकारी संबंध बनाता है

    2.2. भूमिका के दायरे में आने वाली उपयुक्त जाँच–सूचियों का चयन और उपयोग करता है

    2.3. परिणामों की समीक्षा और व्याख्या तथा निष्कर्षों का संप्रेषण एवं उन पर विचार–विमर्श करता है

    2.4. परिणामों और निष्कर्षों का संप्रेषण और उन पर विचार–विमर्श करता है

    2.5. सहयोगात्मक और शक्ति आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है

    2.6. वास्तविक और महत्वाकांक्षी नियोजन और लक्ष्य–निर्धारण में सहयोग करता है

3. *ज्ञान, संयोजन और रेफरल में सहयोग करता है*

    3.1. उपयुक्त और सामयिक सूचना प्रदान करता है

    3.2. प्रमाणन पूरा करता है

    3.3. उपयुक्त सेवाओं के लिए लोगों का निर्धारण कर उन्हें कार्यों से जोड़ता है

4. *बहुपक्षीय मध्यस्थता में सहयोग देता है और बहुपक्षीय मध्यस्थता प्रदान करता है*

    4.1. भूमिका के दायरे में ही मध्यस्थता प्रदान करता है

    4.2. दिव्यांग व्यक्ति के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है

    4.3. सहायक और पुनर्वास उपकरणों को फिट करने और काम में लेने के प्रशिक्षण में सहयोग देता है

    4.4. मूलभूत अभिविन्यास और गतिशीलता (ओ एंड एम) तकनीकों का प्रशिक्षण देता है

    4.5. विभिन्न पद्धतियों से मूलभूत जानकारी संप्रेषित करता है

    4.6. मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाले लोगों के साथ कार्य कर उन्हें संबल प्रदान करता है

    4.7. परिवारों और करीबी लोगों को संबल प्रदान करता है

    4.8. हस्तक्षेपों पर निगरानी रख मूल्यांकन करता है

व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास

1. *भूमिका से जुड़ी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है*

    1.1 भूमिका से संबंधित व्यावहारिक और तार्किक आवश्यकताओं पर ध्यान देता है

    1.2 वैधानिक और नीतिपूर्ण तरीके से कार्य करता है

    1.3 समूह के साथ प्रभावी रूप से कार्य करता है

2. *कार्यों और उत्तरदायित्वों का संचालन और प्रबंधन करता है*

    2.1 कार्य योजना तैयार करता है

    2.2 आकस्मिक स्थितियाँ संभाल लेता है

    2.3 प्रलेखन और रिपोर्ट तैयार करता है

3. *व्यक्तिगत कुशलक्षेम और निरंतर शिक्षण जारी रखता है*

    3.1. स्वयं का कुशलक्षेम बनाए रखने का ध्यान रखता है

    3.2. निरंतर सुधार की योजना बनाता है और उस पर नजर भी रखता है

इन मॉड्यूलों के बाद मुख्य विषय आते हैं, जिन पर दो या अधिक सत्रों में चर्चा की जाती है।

प्रगामी सक्षमता की परिकल्पना

पाठ्यक्रम के दौरान उत्तरोतर सक्षमता वर्धन

पाठ्यक्रम के तीन चरण हैं। इनमें सक्षमता बढ़ने की अपेक्षा रखी गई है। साथ ही प्रशिक्षण–स्थल और प्रशिक्षण तथा ज्ञानार्जन की प्रकृति भी निर्धारित की गई है।

क) **पहला चरण**– इसमें 4 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समय प्रशिक्षणार्थियों को प्रारंभक माना जाता है। सैद्धांतिक प्रशिक्षण का 40 प्रतिशत भाग इस चरण में पूरा किया जाता है। प्रशिक्षण या तो प्रशिक्षण केंद्र में होता है या ऑनलाइन।

ख) **दूसरा चरण**– यह संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के मध्य के 12 सप्ताह का होता है। अब प्रशिक्षणार्थियों को प्रगत प्रारंभक माना जाता है। इसमें 3 सप्ताह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण और 9 सप्ताह का नियोजन (प्लेसमेंट) होता है। फील्डवर्क को सुपरवाइज़ किया जाता है तथा असाइनमेंट पूरा करना होता है। इस चरण का प्रशिक्षण सीबीआईडी केंद्र में दिया जाता है।

ग) **तीसरा चरण**– तीसरा चरण अंतिम 8 सप्ताह का होता है। इसमें प्रशिक्षणार्थी पूर्ण सक्षम अवस्था में कार्य कर रहे होते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक न्यूनतम मानक प्राप्त कर रहे होते हैं। इस चरण में दो सप्ताह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाता है और 6 सप्ताह का कार्यपरक (ऑन–द–जॉब) प्रशिक्षण। ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका है– स्वतंत्र रूप से फील्डवर्क और असाइनमेंट पूरा करना। यह प्रशिक्षण भी आरसीआई प्रमाणित सीबीआईडी केंद्र में ही होता है।

पाठ्यक्रम इन चरणों में आगे बढ़ता जाता है और साथ ही सीबीआईडी प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षाएँ भी बढ़ती जाती हैं। यह अनुसंधान के प्रमाणों के अनुसार ही होता है, जो कहते हैं कि निष्पादन के ठीक पहले प्रभावी रूप से और द्रुत गति से दिया गया शिक्षण निष्पादन को अगले चरण तक ले आता है।[1] बढ़ी हुई अपेक्षाओं को मुख्य निष्पादन क्षेत्रों के अंतर्गत ज्ञानार्जन के परिणाम कहा जाता है। इनमें से कुछ चुनी हुई अपेक्षाओं को अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है। इससे ज्ञानार्जन के गहराते स्वरूप और सक्षमता के पथ का संकेत मिलता है। ध्यान रखें कि सभी विवरणों को सकारात्मक रूप से व्यक्त किया गया है। उच्चतर अवस्था की कमियाँ दर्शाने वाले कथनों को स्थान नहीं दिया गया है।

सक्षमता आधारित शिक्षा में शिक्षण और अधिगम संबंधी आवश्यकताएँ

कार्य हेतु तैयार स्नातक बनाने की दृष्टि से दी जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक/प्रशिक्षक को भी कुछ आवश्यकताएँ पूरी करनी होती है। उन्हें बहुत निष्णांत रोल मॉडल होना चाहिए। कथनी और

[1] GILLIS, S. & GRIFFIN, P. (2008). Competency Assessment. In: Athanasou, J (Ed.). Adult Education and Training, (1), pp.233-255. David Barlow Publishing.

करनी एक जैसी होनी चाहिए। प्रशिक्षण प्रक्रिया में वे सहयोगी कोच की तरह व्यवहार करें। प्रशिक्षणार्थियों के साथ बराबरी से किंतु जानकार की तरह बात करें। कोच के रूप में उनकी भूमिका का मुख्य कार्य है प्रशिक्षणार्थियों के साथ मिलकर समाधान तैयार करना और उन्हें समुचित रूप देना। प्रशिक्षणार्थियों को निष्क्रिय रखने वाला अनुदेशात्मक शिक्षण सक्षमता–वर्धन के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

जहाँ तक गुणों और अर्हताओं की बात है, प्रमाणपत्र स्तर का प्रशिक्षण देने वाले सीबीआईडी कार्मिकों में निम्नलिखित गुण और क्षमताएँ होनी चाहिए –

- सीबीआईडी व्यावसायिक ज्ञान और कार्यक्षेत्र का अनुभव
- प्रशिक्षण के प्रति लगाव और प्रशिक्षणार्थियों को सहयोग देने की भावना
- औपचारिक अर्हता आवश्यक नहीं है किंतु व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्यापन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और अपनी भूमिका के बारे में विचार करने के लिए समय हो।
- दिव्यांगता का जीवंत अनुभव – स्वयं का या परिवार में किसी का या सुविधावंचन या अधिकारहीनता का अनुभव होना आवश्यक नहीं है, पर हो तो अच्छा है।

मुख्य निष्पादन क्षेत्र	स्तर	पाठ्यक्रम से प्राप्त ज्ञानार्जन के परिणाम
समावेशी सामुदायिक विकास (आई सी डी)	1	समावेशी विकास से संबंधित सिद्धान्तों को समझने लगता है। दिव्यांगता पर विभिन्न बाधाओं के प्रभाव की व्याख्या करता है। सामुदायिक समावेश को अनिवार्य बनाने वाले कानूनों को अभिलिखित करता है। सशक्त और आत्म–निर्धारक बनने की रणनीति बताता है। परिवारों को सुदृढ़ संबंधों के लिए प्रोत्साहित करता है।पीआरए को स्पष्ट करता है और मुख्य हितधारकों का विवरण तैयार करता है।
	2	वर्तमान अभिगम के आँकड़े एकत्रित करता है, सामुदायिक अपवर्जन (एक्सक्लूज़न) बढ़ाने वाले पहलुओं की पहचान करता है, नकारात्मक रुख के मुकाबले के तर्क प्रस्तुत करता है। दिव्यांगता की विभिन्न स्थितियों के लिए सही–सही कानूनी प्रावधान लागू करता है और लोगों को उपयुक्त हक दिलाता है। ऐसे हक भी जिन्हें प्राप्त करना कठिन है। कार्यक्रमों के सशक्त बनाने वाले पहलुओं के बारे में बताता है। दिव्यांगजन अपने कार्यों से स्वयं को कैसे सशक्त बनाएँ, इस बारे में बताता है और उनकी अंतर्दृष्टि तथा नेतृत्व के गुणों को बाहर लाता है। विभिन्न वर्गों के बीच समावेश बढ़ाने के लिए ग्राम के अग्रणी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है। समुदाय की मदद के लिए विभिन्न शिविर लगवाता है और संसाधन लाने में सहायक बनता है। समुदाय की रणनीतिक मैपिंग के लिए योजना बनाता और पूरी करता है।
	3	ग्राम स्तर पर अनुपालन की रिपोर्ट भेजता है। अग्रणी व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का आग्रह करता है। विभिन्न अभियान चलाने के लिए प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करता है। कानूनों को समझदारी से लागू कर सामुदायिक परिवर्तन में सहयोगी बनता है। दिव्यांगता के बारे में सामुदायिक परिप्रेक्ष्यों की तुलना करता है और समावेशन हेतु की जाने वाली बातचीत में उनका उपयोग करता है। पीआरए संचालित करता है और उसके माध्यम से समुदाय का मार्गदर्शन करता है। डीपीओ को संबल प्रदान कर सक्षम बनाता है। उनमें आत्मनिर्धारण और स्वयं का पक्षपोषण करने की क्षमता बढ़ाता है।

मुख्य निष्पादन क्षेत्र	स्तर	पाठ्यक्रम से प्राप्त ज्ञानार्जन के परिणाम
आकलन और हस्तक्षेप	1	शक्ति आधारित दृष्टिकोण पर विचार करता है। दिव्यांगता से जुड़े अंधविश्वासों का खंडन करता है। संबंधित कानूनों और प्रावधानों को अभिलिखित करता है। मूलभूत प्रश्नों के उत्तर में एकदम सही जानकारी देता है। निर्धारित फार्मेटों का उपयोग कर मूल्यांकन परिणामों को अभिलिखित करता है। इनमें दिव्यांगता प्रमाणन/यूडीडी शामिल है। कम जोखिम वाली जानकारी एकदम सही और पूरे आदर के साथ संप्रेषित करता है। बहु–क्षेत्रीय मध्यस्थताओं के बारे में बताता और सहायता करता है। परिवार से सदस्यों के प्रशिक्षण में सहभागी बनता है। परिवार के मौजूदा संसाधनों के प्रयोग के बारे में चर्चा करता है। स्थितियों के अनुसार कुशलक्षेम बढ़ाने के विभिन्न आवश्यक उपायों की जानकारी देता है।
	2	अल्प दिव्यांगता की दशा को पहचान लेता है। आधारभूत मूल्यांकन का चयन करता है और मूल्यांकन करता है, जिसमें परिवार के सबल पक्ष से संबंधित प्रश्न शामिल रहते हैं। रिपोर्ट तैयार करता है, रेफरल के सही रास्तों की पहचान करता है और उपयुक्त रूप से रेफर करता है। सीखी हुई रणनीतियों का उपयोग कर संवेदनशील जानकारी विचारपूर्वक संप्रेषित करता है। सहयोगपूर्ण नियोजन और लक्ष्य–निर्धारण में सहायक बनता है। संसाधनों से संबंधित और अन्य संबंधित जानकारी समय पर देता है। कई प्रकार की आवश्यकताओं के लिए आधारभूत हस्तक्षेप प्रदान करता है और दूसरों को इसका प्रशिक्षण देता है।
	3	दिव्यांगता और मानसिक बीमारी की पहचान के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बताई गई 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की समझ का उपयोग करता है। कार्यात्मक मूल्यांकन पूर्ण करता है, जिसमें शुद्धता को प्रभावित करने वाली स्थितियों का ध्यान रखता है। प्रतिरोधों को दूर कर परिवार में सहयोगपूर्ण नियोजन में सहायक बनता है। नियोजन में सबल पक्षों को शामिल करता है और परिवार के मौजूदा संसाधनों के उपयोग में सहायक बनता है। उपयुक्त भावनात्मक संबल प्रदान करता है और बेहतर सपोर्ट के लिए स्वयं के व्यवहार को अनुकूल बनाता है।
व्यावसायिक व्यवहार एवं चिंतनशील अभ्यास	1	निर्धारित फार्मेट में कार्य–योजना तैयार करता है। सौंपे गए कार्य नियत समय पर पूरे करता है। समूह में विभिन्न कौशलों की चर्चा करता है। संबंधित आचरण संहिता, कानून, नैतिक आवश्यकताओं का वर्णन करता है। दिव्यांगता से संबंधित प्रतिक्रियाओं पर विचार करता है और संभावित चुनौतियों की पहचान करता है। ज्ञान में कमी बताने पर उदारता से स्वीकार करता है .... .
	2	काम का बोझ संभाल लेता है और योजनाओं को अनुकूल बनाता है। अन्य लोगों के साथ सहयोग करता है और समूह के कार्यों में सकारात्मक योगदान करता है। जिम्मेदार और निष्पक्ष व्यवहार दर्शाता है। गोपनीयता और पृष्ठभूमि का ध्यान रखता है। स्वयं के कुशलक्षेम का ध्यान रखता है और उपलब्ध सपोर्ट लेता है। निरंतर शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाता है।
	3	दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर योजना बनाता है। परिवर्तन की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। कुशलक्षेम बनाए रखने वाले मार्ग पर चलता है और अन्य लोगों को भी ऐसा करने में सक्रिय रूप से मदद करता है। मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में नए दिशानिर्देश जोड़ता है और परिवर्तन करता है। भूमिका की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निरंतर ज्ञानार्जन के स्रोत ढूंढता है और इनका उपयोग करता है।

पाठ्यक्रम की माह–दर–माह रूपरेखा

पहला माह :

पहला चरण		पहला सप्ताह	दूसरा सप्ताह	तीसरा सप्ताह	चौथा सप्ताह
सोमवार	पूर्वाह्न	1.1.1.1 दिव्यांगता की अवधारणा 1.1.1.2 इक्कीस प्रकार की दिव्यांगता की सामान्य परिभाषा	1.2.1.2 व्यावहारिक सत्र (दौरा) समाज कल्याण विभाग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी	2.2.2.1 जाँच सूची की स्क्रीनिंग – प्रकार और संदर्भीकरण 2.2.1.2 व्यावहारिक – प्रशिक्षण केंद्र के आसपास के क्षेत्र में जाँच सूची का प्रायोगिक परीक्षण	4.1.1.1; 4.1.1.2 सीबीआईडी मैट्रिक्स और अपवर्जन के निराकरण के लिए मैट्रिक्स का उपयोग
	अपराह्न	1.1.1.1; 1.1.1.2 समुदाय, दिव्यांगता और विभेदता का विहंगावलोकन,	1.2.1.1 दिव्यांगों और उनके अधिकारों से संबंधित कानून, नीतियाँ और अधिनियम	2.1.1.1; 2.1.1.2 समुदाय को जोड़ने, उनका विवरण तैयार करने और गतिशील बनाने की अवधारणा	2.2.3.1 सहभागितापूर्ण सामुदायिक बैठकें
मंगलवार	पूर्वाह्न	1.1.1.1; 1.1.1.2 सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्व	1.1.3.1; 1.1.3.2 वैयक्तिक संरचना का प्रभाव	1.2.1.2 (जारी) जोखिमग्रस्त बच्चों और बड़ों का संरक्षण 1.2.2.1 नैतिकता और गोपनीयता	2.1.1.1; 2.1.1.2 कार्य–योजना और कार्य के लक्ष्य
	अपराह्न	1.1.2.1; 1.1.2.2 दिव्यांगता के प्रतिदर्श (मॉडल्स) और निहितार्थ	1.2.1.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की फाइल बनाने की शुरुआत	2.1.2.1; 2.1.2.2 समुदाय का सशक्तिकरण और सशक्त हुए लोगों की कहानियाँ	2.2.3.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) स्थानीय संदर्भ में सहभागिता बढ़ाने वाले स्थानीय दिशानिर्देश
बुधवार	पूर्वाह्न	1.1.2.1 उत्तरदायित्वों की सीमाएँ	1.2.1.1; 1.2.1.2 कार्यस्थल नियम एवं नीतियाँ	2.3.1.1 रिपोर्टिंग में सीबीआईडी उत्तरदायित्व और रिपोर्टिंग के फार्मेट	1.3.1.1; 1.3.1.2 सीबीआईडी टीम और अन्य व्यावसायिक

पहला चरण		पहला सप्ताह	दूसरा सप्ताह	तीसरा सप्ताह	चौथा सप्ताह
	अपराह्न	1.1.2.1 दिव्यांगता के अवरोध 1.1.2.2 दिव्यांगता अवरोध व्यावहारिक सत्र 1.1.3.1. अवरोधों का परिवार पर प्रभाव	1.2.2.1 केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्य हक प्राप्त करने की कार्यविधि 1.2.2.2 प्राप्त हकों को व्यक्ति और परिवार के साथ साझा करना – व्यावहारिक सत्र	2.3.1.1; 2.3.1.2 जाँचसूची परिणामों का निर्वचन तथा उन्हें साझा करना	3.3.1.1 बहुविषयी टीम के सदस्यों की भूमिका 4.2.1.1 विकास में हो रही देरी का पता लगाने में सहायता करने वाली जाँच सूची बनाना
गुरुवार	पूर्वाह्न	1.1.1.3 व्यावहारिक सत्र – स्थानीय विभेदता का प्रारंभिक खाका तैयार करना	1.2.2.1 समावेशी समुदायों के लाभ और उनका कानूनी आधार	2.2.1.1 पीआरए की अवधारणा और साधन 2.2.1.2 व्यावहारिक सत्र – प्रशिक्षण केंद्र के संसाधनों की सूची	3.1.1.1 पंचायती राज प्रणाली और संरचना 3.2.3.1 सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कमी या अन्य बातों का पता लगाना
	अपराह्न	1.1.3.2 व्यावहारिक सत्र – स्थानीय समुदाय में भिन्न–भिन्न प्रकार की दिव्यांगता के सामने आने वाले अवरोध (नीचे आईसीडी 1.1.2.3 के साथ सम्मिलित रूप से)	2.1.1.1 पारिवारिक संरचना व्यक्तिगत गतिशीलता 2.1.1.2 पारिवारिक संरचना व्यक्तिगत गतिशीलता–दिव्यांगता का प्रभाव	3.1.1.1 अभिगम्य फार्मेट में जानकारी 3.1.2.1 उपयुक्त जानकारी समय पर साझा करना 3.2.1.1 प्रमाणपत्रों के प्रकार	4.3.1.1 एडीआइपी योजना – उपलब्ध सहायक उपकरण
शुक्रवार	पूर्वाह्न	1.1.2.3 व्यावहारिक सत्र – स्थानीय समुदाय में प्रचलित दिव्यांगता के प्रतिदर्शों और स्थानीय अवरोधों का पता लगाना	1.2.2.2 व्यावहारिक सत्र – (पोर्टफोलियो) आईसीडी से संबंधित योजनाएँ और प्रावधान	2.2.2.1 पीआरए में 'सहभागिता' की अवधारणा 2.2.2.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) सहभागितापूर्ण रिपोर्ट तैयार करने की जाँचसूची	3.1.1.1 कार्यस्थल पर सुरक्षा 3.1.2.1 महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम
	अपराह्न	1.2.1.1 समावेशी संगठन के हक और प्रावधान 1.2.1.2 समावेशी संगठनों का दौरा – व्यावहारिक सत्र	1.2.1.1 विभेदात्मक भारतीय परिवारों के बारे में विचारणीय घटक 2.2.1.1 दिव्यांगता जाँचने का औचित्य, प्रक्रिया और प्रयोजन	3.2.1.2 परिवार के प्रमाणन का कार्य पूरा होने का अवलोकन 3.2.2.1 प्रमाणन और औपचारिकताएँ पूरी करने से पहले की आवश्यकताएँ	दूसरे चरण के कार्य की तैयारी – विचार–विमर्श, चेक–इन (आमने–सामने साक्षात्कार?)

दूसरा माहः

दूसरा चरण खंड–1		पाँचवाँ सप्ताह	छठा सप्ताह	सातवाँ सप्ताह	आठवाँ सप्ताह
सोमवार	पूर्वाह्न	2.1.2.2 (सेट अप) किसी परिवार के पास जाना और अच्छे कामकाजी संबंध बनाना 2.2.2.2 (सेट अप) घर–घर जाकर स्क्रीनिंग सर्वे करना	2.1.2.2 परिवारों के साथ अच्छे कामकाजी संबंध बनाना	2.4.2.2 व्यावहारिक सत्र – दिव्यांगजन वाले परिवार के साथ भोजन के समय की चर्चा	2.6.1.2 उसी परिवार के लिए आईएफएसपी पूरा कर लक्ष्य तय करना

भारतीय पुनर्वास परिषद्

दूसरा चरण खंड–1		पाँचवाँ सप्ताह	छठा सप्ताह	सातवाँ सप्ताह	आठवाँ सप्ताह
	अपराह्न	2.1.2.2 प्रेरक कहानियों के माध्यम से सशक्तिकरण को संबल प्रदान करना 2.2.3.2 (सेट अप) बैठक की रिपोर्ट तैयार करना 3.2.1.1 (इनपुट) अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों का सहयोग लेना 3.2.1.2 (इनपुट) कार्यक्रम प्रबंधन और पत्र–लेखन कौशल	2.1.2.2 प्रेरक कहानियों का अभिलेखन जारी रखना	2.2.3.2 सामुदायिक बैठक में उपस्थित होना और सभी हितधारकों की सहभागिता से इसमें उत्पन्न प्रभाव को अभिलिखित करना	3.1.2.2 पक्ष–पोषण अभियान डिज़ाइन करने के लिए आवंटित समय
मंगलवार	पूर्वाह्न	1.1.1.2 (सेट अप) सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व 1.2.1.2 कार्यस्थल संबंधी कानून और नीतियाँ (सेट अप) 1.2.3.2 (सेट अप) दौरे 1.2.3.1 (इनपुट) निवारक व्यवस्थाएँ	1.2.3.2 निवारक व्यवस्था समझने के लिए दौरे करना	1.3.3.2 (ए एंड आई 2.2.2.2 पर ले जाएं) संप्रेषण कौशल 1.3.3.3 वैकल्पिक संप्रेषण	1.3.4.1 (इनपुट) समूह की गतिशीलता 1.3.4.2 समूह के बीच चर्चा का अभ्यास
	अपराह्न	3.2.2.1 (इनपुट) पीआरआई और प्रशासनिक ढाँचे और विभागों की समीक्षा	2.1.2.2 प्रेरक कहानियों का प्रलेखन जारी	3.1.1.2 (जारी) सेवा–सुपुर्दगी के समय डेटा– संग्रहण का साधन तैयार करना	3.1.2.2 पक्ष–पोषण अभियान डिज़ाइन करने के लिए आवंटित समय
बुधवार	पूर्वाह्न	1.3.3.1 (इनपुट) संप्रेषण कौशल 1.3.2.1 (इनपुट) समूह में उत्तम रीति से चर्चा 1.3.2.2 (सेट अप) महत्वपूर्ण चर्चाएँ	1.2.3.2 निवारक व्यवस्था समझने के लिए दौरे करना	1.3.3.3 संप्रेषण कौशल जारी (कक्षा में अभ्यास)	2.2.1.1 (इनपुट) नकारात्मक परिणामों का उपचार
	अपराह्न	2.4.1.1 प्रकरण–समीक्षा और परिवार को सहभागिता में सहयोग 2.4.2.1 परिवार में दिव्यांगजन को स्वीकार करने की स्थिति का मूल्यांकन	2.2.2.2 दिव्यांगता सर्वे के लिए स्क्रीनिंग और पर्यवेक्षक को प्रतिसूचना (फीडबैक) (समूह–कार्य)	2.5.1.2 व्यक्ति और परिवार के सपोर्ट–नेटवर्क की मैपिंग करना (ईकोमैप)	2.6.2.1 अन्य हितधारकों के साथ अनुभव बाँटने के लिए माता–पिता को बुलाना
गुरुवार	पूर्वाह्न	3.1.1.2 (इनपुट) सेवा–सुपुर्दगी पर द्वितीयक डेटा प्राप्त कर अर्थघटन करना	2.1.2.2 प्रेरक कहानियों का अभिलेखन जारी रखना	3.1.2.2 आईईसी सामग्री संग्रहित करने के लिए आवंटित समय	3.2.2.2 प्राप्त डेटा से केस स्टडी और कहानियाँ तैयार करना जिसमें सेवा–सुपुर्दगी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के उदाहरण दिए गए हों
	अपराह्न	2.5.1.1; 2.5.2.1 परिवार के साथ संसाधन और इको मैपिंग	2.3.2.1; 2.3.2.2 स्क्रीनिंग परिणामों को जिम्मेदारी से साझा और स्टोर करना तथा व्यावहारिक सत्र	2.5.2.2 पुनर्वास आवश्यकताओं के लिए संसाधनों की मैपिंग	2.6.2.1 माता–पिता द्वारा अनुभव बाँटना, निरंतर

दूसरा चरण खंड–1		पाँचवाँ सप्ताह	छठा सप्ताह	सातवाँ सप्ताह	आठवाँ सप्ताह
शुक्रवार	पूर्वाह्न	3.1.2.1 (इनपुट) पक्षपोषण अभियान 3.1.2.2 आईईसी सामग्री	2.1.2.2 प्रेरक कहानियों का अभिलेखन जारी रखना	3.1.2.2 आईईसी सामग्री का संग्रहण जारी	यह सप्ताह प्रस्तुतियों और डिब्रीफिंग के साथ पूरा होता है : ◆ ए एंड आइ 2.4.2.2 परिवार की भूमिका के बारे में चर्चा (चरण–1 आईसीडी 1.1.2.1/1.1.2.2 से तुलना करें) ◆ पीबी एंड आर पी 1.1.3.2 इस पहले खंड में रखे जाने पर आपकी समझ में आए बदलाव की चर्चा करें ◆ पीबी एंड आरपी 1.3.2.2 समूह चर्चा ◆ आईसीडी 3.1.2.2 पक्ष–पोषण योजना की प्रस्तुति
	अपराह्न	2.6.1.1/ 2.6.2.1 आईएफएसपी तैयार कर लक्ष्य–प्राप्ति में सहयोग करना	2.4.1.2 बहुविषयी प्रकरण समीक्षा में सहभागिता कर स्वयं के मत को रिकॉर्ड करना	2.5.1.2/ 2.5.2.2 – ईको और संसाधनों की मैपिंग पूर्ण करना	

तीसरा माह:

दूसरा चरण खंड 2		नौवाँ सप्ताह	दसवाँ सप्ताह	ग्यारहवाँ सप्ताह	बारहवाँ सप्ताह
सोमवार	पूर्वाह्न	3.1.1.2/3.1.2.2 (सेट अप) ज्ञान का उपयुक्त, समय पर और बोधगम्य रूप में संप्रेषण 3.2.2.2 (सेट अप) पूर्णता प्रमाणन	3.1.1.2/3.1.2.2 जागरूक करने वाली सामग्री तैयार करना जिसमें दिव्यांगता के बारे में फैली मिथ्या धारणाओं को दूर करने वाले तथ्य प्रस्तुत करना। इस प्रकार की सामग्री दो अलग–अलग प्रकार के फार्मेट में प्रदान करना और जानकारी साझा करने की सामयिकता नोट करना	3.3.1.3 पुनर्वास संसाधन डाइरेक्टरी और रेफरल मार्ग	4.8.1.1 हस्तक्षेप से हुई प्रगति का निरंतर और योगात्मक मूल्यांकन
	अपराह्न	2.2.4.1क (इनपुट) संसाधन मूल्यांकन का अभ्यास	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट
मंगलवार	पूर्वाह्न	2.3.1.2 पीआरए रिपोटिंग का कोई भी फॉर्म तैयार करें, जिसकी जरूरत हो	2.3.1.2 जारी: पीआरए का कोई भी फॉर्म तैयार करें, जिसकी जरूरत हो	2.1.2.2 फील्ड में समय प्रबंधन के बारे में सीबीआईडी कार्यकर्ता का साक्षात्कार लें और अपने जर्नल में लिखें	2.2.3.1 (इनपुट) आपदा से निपटने की तैयारी
	अपराह्न	2.2.4.1ख (इनपुट) पीआरए के प्रतिनिधित्व के लिए दृश्य साधनों का प्रयोग	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट

दूसरा चरण खंड 2		नौवाँ सप्ताह	दसवाँ सप्ताह	ग्यारहवाँ सप्ताह	बारहवाँ सप्ताह
बुधवार	पूर्वाह्न	2.1.3.1 (इनपुट) कार्ययोजना की समीक्षा और उस पर विचार	2.1.2.1 (इनपुट) समय प्रबंधन	2.1.3.2 वैयक्तिक कार्य निष्पादन के बारे में विचार और उसे समकक्ष के साथ साझा करें	2.2.3.2 सामाजिक अशांति/आपदाओं से कार्य–योजना पर होने वाले प्रभाव के बारे में दो अनुभवी सहकर्मियो से चर्चा करें और अपने विचार जर्नल में लिखें
	अपराह्न	3.3.1.2/3.3.1.3 (सेट अप) संसाधन निदेशिका और रेफरल के मार्ग जिनसे पुनर्वास में मदद मिलती है 4.2.1.1 (सेट अप) विकास में विलंब संबंधी आपकी जाँच सूचियाँ चौथे सप्ताह से पूर्ण करना	3.1.1.2/ 3.1.2.2 दिव्यांगता जागरूकता सामग्री और सामयिकता जारी	3.3.1.3 दिव्यांगता जागरूकता सामग्री और सामयिकता जारी	4.8.2.1 मूल्यांकन और प्रतिसूचना प्रणाली के उपयोग से लक्ष्य नए सिरे से तय करना
गुरुवार	पूर्वाह्न	2.2.4.1ग पीआरए परियोजना की कार्य–योजना तैयार करें	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट
	अपराह्न	3.3.1.1 (इनपुट) रेफरल और सिंगल विंडो सर्विस प्रावधान द्वारा सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करता है	3.2.2.2 प्रमाणन – अलग–अलग प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हुए कम से कम 5 आवेदन पत्र पूर्ण करना	3.3.1.3 पुनर्वास संसाधन डायरेक्टरी और रेफरल मार्ग निरंतर..	4.2.1.2 असामान्य रूप से विकसित हो रहे बच्चे के मामले में विकासात्मक विलंब जाँच सूची का प्रयोग
शुक्रवार	पूर्वाह्न	2.2.4.1ग पीआरए परियोजना की कार्य–योजना, जारी	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट	2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट	असाइनमेन्ट हाथ में लेने और प्रश्न पूछने तथा पर्यवेक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम के बीच की समीक्षा करने के अवसरों के साथ सप्ताह पूरा होता है।
	अपराह्न	4.1.2.1 (इनपुट) सामुदायिक स्तर पर मध्यस्थता	3.2.2.2 प्रमाणन जारी..	3.3.1.3 पुनर्वास संसाधन डाइरेक्टरी और रेफरल मार्ग जारी	

चौथा माह:

दूसरा चरण खंड 3		तेरहवाँ सप्ताह	चौदहवाँ सप्ताह	पंद्रहवाँ सप्ताह	सोलहवाँ सप्ताह
सोमवार	पूर्वाह्न	4.2.2.1 (इनपुट) परिवारों को कौशल प्राप्ति के लिए प्रवृत्त करना ताकि दिव्यांगजन के चलने–फिरने और कामकाज करने की क्षमता बढ़े	4.3.1.2 सहायक एवं पुनर्वास उपकरणों की फिटिंग और प्रशिक्षण के लिए एडीआइपी फॉर्म – किसी एक व्यक्ति के लिए यह फॉर्म भरें और निर्दिष्ट केंद्र पर प्रस्तुत करें	4.2.2.3 संचलन सिखाने वाली आवश्यकताओं में सहयोग जारी...	4.4.2.2 एडीएल गतिविधियों के लिए नियत कार्यों का विश्लेषण जारी...

दूसरा चरण खंड 3		तेरहवाँ सप्ताह	चौदहवाँ सप्ताह	पंद्रहवाँ सप्ताह	सोलहवाँ सप्ताह
	अपराह्न	3.2.1.3 (सेट अप) स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लेखन 3.2.3.2 (सेट अप) सरकारी अनुपालन संबंधी मसले और कमियाँ 4.1.1.1 (इनपुट) परिवर्तनकारी व्यक्ति की भूमिका की खोज	3.2.3.2 सरकारी अनुपालन में कमी का विश्लेषण पूर्ण करना	4.2.1.1 (इनपुट) सीबीआर मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए क्षेत्रों (सेक्टर्स) की नेटवकिंग	4.2.2.1 (इनपुट) समूह में कार्य करने की चुनौतियों का हल खोजना और सकारात्मक कामकाजी संबंध बनाना
मंगलवार	पूर्वाह्न	2.3.2.1 (इनपुट) समय पर रिपोटिंग	2.3.1.2 ड्राफ्ट रिपोर्टें और फॉर्म तैयार करना – प्रशिक्षण रिपोर्ट, आइआरपी (ए एंड आई के साथ)	2.3.3.1 (इनपुट) केस स्टडी लिखना और प्रस्तुत करना	2.3.3.2 केस स्टडी तैयार करना – स्वीकृति प्राप्त करना
	अपराह्न	4.1.1.2 (इनपुट) परिवर्तन के सुरक्षित सिद्धान्त की पहचान	3.2.3.2 सरकारी अनुपालन में कमी का विश्लेषण, जारी...	4.2.1.2 (इनपुट) पक्ष–पोषण अभियान में सहायता और परिवर्तन हेतु प्रतिबद्ध करने के लिए डेटा–संग्रहण में नेटवर्क का उपयोग	4.2.2.2 समूह में कार्य करने की चुनौतियों के हल के लिए हुई बातचीत का अभिलेख तैयार करना
बुधवार	पूर्वाह्न	1.1.2.1 उत्तरदायित्वों की सीमाएँ	1.2.1.1; 1.2.1.2 कार्यस्थल संबंधी कानून और नीतियाँ	2.3.1.1 रिपोर्टिंग में सीबीआईडी उत्तरदायित्व और रिपोटिंग के फार्मेट	1.3.1.1; 1.3.1.2 सीबीआईडी टीम और अन्य व्यावसायिक
	अपराह्न	2.3.2.1 असाइनमेन्ट समय पर प्रस्तुत करना	2.3.1.2 रिपोर्ट और फॉर्म तैयार करना, जारी...	2.3.3.2 छोटा समूह बनाकर 2 केस स्टडी तैयार करना	2.3.2.2 (इनपुट) बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना
गुरुवार	पूर्वाह्न	4.1.2.1 (सेट अप) आधारभूत सशक्तिकरण में सहायक बनना (सेट अप) 4.1.2.3 (सेट अप) सशक्तिकरण का मूल्यांकन और रिपोटिंग 4.2.2.1 (सेट अप) समूह में कार्य करने की चुनौतियों का हल	3.2.1.3 स्थानीय सरकारी अधिकारी को पत्र लेखन	4.2.1.2 स्थानीय एजेंसियों की गाइडबुक तैयार करना, जो समावेशी सामुदायिक विकास हेतु नेटवकिंग में मदद करे	4.2.2.2 चुनौतीपूर्ण बातचीत का अभिलेखन, जारी...
	अपराह्न	4.4.1.1 (इनपुट) मूलभूत ओ एंड एम तकनीकों का प्रशिक्षण 4.5.1.1/4.5.1.2 संपूर्ण संप्रेषण और .... में अधिक प्रवीणता प्राप्त करने के लिए एक पद्धति का चयन	4.2.3.2 संचलन सिखाने वाली आवश्यकताओं में सहयोग जारी...	4.2.2.2 संचलन सिखाने वाली आवश्यकताओं में सहयोग जारी...	4.5.1.2 ग्राहक के साथ उसकी पसंद के तरीके से संप्रेषण में सुधार का प्रदर्शन

दूसरा चरण खंड 3		तेरहवाँ सप्ताह	चौदहवाँ सप्ताह	पंद्रहवाँ सप्ताह	सोलहवाँ सप्ताह
शुक्रवार	पूर्वाह्न	4.1.2.2 (इनपुट) प्रेरक कहानियाँ सुनाना	4.1.2.3 सशक्तिकरण में सहयोग के लिए समुदाय सशक्तिकरण साधन के क्षेत्रों का उपयोग करते हुए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और कार्यक्रम प्रबंधक (प्रबंधको) को परिणाम की रिपोटिंग करना (पीबी एंड आर पी 2.3.4.2 से संबंधित)	4.2.1.2 समावेशी सामुदायिक विकास एजेंसी गाइडबुक तैयार करना जारी...	पर्यवेक्षकों से मिलने और असाइनमेन्ट के लिए सपोर्ट तथा इनपुट प्राप्त करने के अवसर के साथ सप्ताह पूरा होता है
	अपराह्न	4.5.2.1 (इनपुट) अलग–अलग आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक संप्रेषण प्रणालियों का प्रदर्शन और सूची बनाना 4.4.2.1 (इनपुट) कौशल विकास के लिए एडीएल क्षेत्र और नियत कार्य विश्लेषण		4.4.2.2 एडीएल कौशलों के शिक्षण का प्रदर्शन	

पाँचवाँ माह:

तीसरा चरण खंड 1		सत्रहवाँ सप्ताह	अठारहवाँ सप्ताह	उन्नीसवाँ सप्ताह	बीसवाँ सप्ताह
सोमवार	पूर्वाह्न	4.6.1.1 (इनपुट) मानसिक बीमारी वाले लोगों को सुनना और मदद करना	4.6.1.2 मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रदर्शन के लिए संसाधन तैयार करना जारी...	2.6.2.3 (इनपुट) सपोर्ट संबंधी लक्ष्य तय और प्राप्त करने में परिवारों को सहयोग	3.2.2.3 प्रमाणन प्राप्त करने में परिवार को सहयोग जारी...
	अपराह्न	4.2.3 समुदाय परियोजना/ अभियान (सेटअप) 3.1.2.3; 3.1.2.4 पक्ष–पोषक प्रस्तुति (सेटअप) और परिवर्तन सिद्धान्त रचना	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना	3.1.2.3 पक्ष–पोषक प्रस्तुति (समुदाय परियोजना 4.2.3 में शामिल करें)
मंगलवार	पूर्वाह्न	3.1.2.2 (इनुपट) दिव्यांग महिलाओं की आवश्यकताएँ 3.1.1.3 फील्ड तक और फील्ड में सुरक्षित यात्रा की योजना बनाना	2.2.3.3 (इनपुट) आपदा से निपटने की तैयारी (सेट अप) – स्थानीय समुदाय के जोखिमों की पहचान	3.2.1.2 अपने जर्नल में नोट करें कि अपने निष्पादन के बारे में आप क्या सोचते हैं – अपनी प्रगति और ज्ञानार्जन संबंधी लक्ष्यों पर विचार करें जिनके बारे में आप अपने पर्यवेक्षक से चर्चा करना चाहेंगे	2.2.1.2 नकारात्मक परिणामों से निपटना 3.1.3.2 स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा 2.1.2.3 समय प्रबंधन
	अपराह्न	4.2.3 तैयारी – समुदाय के साथ परिवर्तन सिद्धांत का डाइग्राम बनाइए	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना	3.1.2.3 पक्ष–पोषण प्रस्तुति (समुदाय परियोजना 4.2.3 में शामिल करें)
बुधवार	पूर्वाह्न	1.1.2.1 उत्तरदायित्व की सीमाएँ	1.2.1.1; 1.2.1.2 कार्यस्थल संबंधी कानून और नीतियाँ	2.3.1.1 रिपोटिंग में सीबीआईडी उत्तरदायित्व और रिपोटिंग के फार्मेट	1.3.1.1; 1.3.1.2 सीबीआईडी टीम और अन्य व्यावसायिक

तीसरा चरण खंड 1		सत्रहवाँ सप्ताह	अठारहवाँ सप्ताह	उन्नीसवाँ सप्ताह	बीसवाँ सप्ताह
	अपराह्न	2.1.1.3 (सेटअप) कार्य–योजना तैयार करें 2.1.2.3 (सेटअप) समय–प्रबंधन	2.1.2.3 समय प्रबंधन – स्वयं के समय प्रबंधन पर नजर रखना	3.1.2.3 महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम – इस विषय पर निर्देशित फील्ड–विज़िट में भाग लें और संबंधित मसलों पर जाँच–सूची/प्रश्नावली पूरी करें	3.2.2.2 निरंतर ज्ञानार्जन के अवसर
गुरुवार	पूर्वाह्न	4.2.3 तैयारी – रोल मॉडल की प्रेरक कहानियों की फाइल तैयार करना	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना
	अपराह्न	4.6.1.2 मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी प्रस्तुति के लिए संसाधन तैयार करना	4.7.1.2 दिव्यांगता के साथ अनुकूलन की अवस्थाओं के बारे में लेखन, उपयोगी जानकारी देते हुए संवेदनशीलता के साथ उत्तर	2.6.2.3 लक्ष्य–निर्धारण और नियोजन जारी...	3.3.1.4 समुदाय में पुनर्वास सेवाएँ देने वाली सिंगल विंडो का प्रावधान – समूह परियोजना
शुक्रवार	पूर्वाह्न	4.2.3 तैयारी – सहायता देने वाली एजेंसियों/इकाइयों की सूची	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना
	अपराह्न	4.3.2.1 (सेट अप) सहायक उपकरण बनाना 4.1.2.2 (सेटअप) दिव्यांगता के बारे में समुदाय की अवधारणा निर्धारित करना	4.7.2.2 समस्याओं का सामना करने की परिवार की व्यवस्थाओं का अभिलेखन	3.2.2.3 ऊपर 3.2.2.2 के लिए तैयार सामग्री का उपयोग करते हुए प्रमाणन को आसान बनाने के लिए किसी परिवार के साथ कार्य (दूसरा चरण खंड 2)	4.1.2.3 समुदाय सहभागिता गतिविधि का प्रदर्शन

छठा माह:

तीसरा चरण खंड 2		इक्कीसवाँ सप्ताह	बाईसवाँ सप्ताह	तेईसवाँ सप्ताह	चौबीसवाँ सप्ताह
सोमवार	पूर्वाह्न	4.2.2.4 (इनपुट) संचलन और पेशीय अधिगम (मोटर लर्निंग) की आवश्यकताओं में सहयोग के बारे में परिवार को शिक्षित करना (दूसरे चरण के 4.2.2.1 के तारतम्य में)	4.3.3.1 (इनपुट) और 4.3.3.2 (व्यावहारिक सत्र) सहायक उपकरणों की फिटिंग, प्रशिक्षण और मरम्मत	4.5.2.3 वैकल्पिक संप्रेषण बोर्ड तैयार करना	छात्र संगोष्ठियाँ
	अपराह्न	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.3.1.1 (इनपुट) स्थानीय अग्रणी व्यक्तियों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व तथा चयन की सहभागितापूर्ण प्रक्रिया	

तीसरा चरण खंड 2		इक्कीसवाँ सप्ताह	बाईसवाँ सप्ताह	तेईसवाँ सप्ताह	चौबीसवाँ सप्ताह
मंगलवार	पूर्वाह्न	3.2.2.2 नया कौशल सीखना	1.3.2.3 कठिन और सकारात्मक अंतःक्रियाओं के बारे में समकक्षों / पर्यवेक्षकों के साथ विचारपूर्ण चर्चा	छात्र संगोष्ठियों और संसाधन मेलों की तैयारी	4.6.2.1 (इनपुट) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मसलों वाले लोगों के लिए रेफरल
	अपराह्न	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.3.1.2 स्थानीय अग्रणी व्यक्तियों की पहचान और चयन के लिए समुदाय के साथ कार्य	4.6.2.2 मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए रेफरल के मार्ग और परिवारों को संबद्ध करने तथा सहयोग करने के तरीकों का अभिलेखन
बुधवार	पूर्वाह्न	3.2.2.2 नया कौशल सीखना जारी...	छात्र संगोष्ठियों के लिए तैयारी	छात्र संगोष्ठियों और संसाधन मेलों की तैयारी	4.3.2.1 (इनपुट) सीबीआईडी कार्यकर्ता/बाहरी एजेंट की भूमिका मंद करना
	अपराह्न	4.2.2.4 परिवारों के समक्ष प्रदर्शन – मूवमेंट और मोटर लर्निंग आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार सहयोग करें	4.4.1.2 परिवार को ओ एंड एम तकनीकों का प्रशिक्षण	4.5.2.3 वैकल्पिक संप्रेषण बोर्ड तैयार करना जारी...	4.3.2.2 (इनपुट) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के संदर्भों को मंद करने के स्थानीय उपाय
गुरुवार	पूर्वाह्न	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.3.1.2 स्थानीय अग्रणी व्यक्तियों की पहचान और चयन के लिए समुदाय के साथ कार्य, जारी...	पहला दिन – संसाधन मेला (समुदाय को प्रवेश) – संभव हो तो बूथ और पोस्टर प्रदर्शन–समुदाय के लोग कमरे के हर बूथ तक जाते हैं और बूथ का संचालन कर रहे छात्रों से प्रदर्शित सामग्री के बारे में चर्चा करते हैं
	अपराह्न	4.3.1.3 एडीआइपी अभिगम (एक्सेस) में परिवार को सहयोग	4.4.2.3 एडीएल प्रशिक्षण की योजना तैयार करना	4.5.2.3 वैकल्पिक संप्रेषण बोर्ड तैयार करना जारी...	
शुक्रवार	पूर्वाह्न	4.3.2.2 (व्यावहारिक) स्थानीय सहायक उपकरण और गृह आधारित अनुकूलक उपकरण तैयार करना	4.2.3 समुदाय परियोजना	4.3.1.3 स्थानीय अग्रणी व्यक्तियों का प्रशिक्षण, विकास और साधन संपन्न बनाना	दूसरा दिन – उपाधि प्राप्ति और समारोह
	अपराह्न		4.4.2.3 एडीएल प्रशिक्षण की योजना तैयार करना जारी...	4.5.2.3 वैकल्पिक संप्रेषण बोर्ड तैयार करना जारी...	

व्यवहारिक कार्य प्रारंभ करने से पहले न्यूनतम सक्षमता प्राप्त करने संबंधी आवश्यकताएँ

उपस्थिति :

सैद्धांतिक सत्रों में 80 प्रतिशत और व्यावहारिक सत्रों में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी के संस्थान के प्राचार्य/अध्यक्ष को सभी सत्र पूर्ण करने का प्रमाणपत्र देना होगा।

परीक्षा की स्कीम :

भारतीय पुनर्वास परिषद की विशेष शिक्षण और दिव्यांगता पुनर्वास एवं समावेशन में क्षमता आधारित प्रमाणपत्र स्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा की स्कीम लागू होगी।

मूल्यांकन प्रक्रियाएँ:

कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :

क) **निरंतर (रचनात्मक) आधार पर** – पाठ्यक्रम के विभिन्न नियत कार्यों और असाइनमेन्ट पूरे करने पर

ख) **योगात्मक (समेटिव) आधार पर** – पाठ्यक्रम का प्रत्येक चरण पूरा होने पर प्रशिक्षक/नियोजन पर्यवेक्षक द्वारा विस्तृत प्रेक्षण मूल्यांकन किया जाएगा।

I. *पाठ्यक्रम के दौरान मूल्यांकन (रचनात्मक मूल्यांकन) :*

क्षमता– आधारित पाठ्यक्रम होने से मूल्यांकन योग्य कार्यों को क्षमता–विकास की दृष्टि से डिज़ाइन किया गया है। वे वास्तविक कार्य–स्थितियों पर आधारित हैं या उनमें किए जाते हैं। छात्र काम करते हुए सीखता जाता है और फिर अपने सीखे हुए के बारे में विचार करता है। इनके पूरा होने पर प्रशिक्षक और प्रशिणार्थी दोनों को पता चलता है कि सीबीआईडी ज्ञानार्जन यात्रा में प्रशिक्षणार्थी कहाँ तक पहुँचा है। प्रशिक्षक उसे आगे बढ़ते रहने में सहायता करता है। ये रचनात्मक मूल्यांकन चार प्रकार के होते हैं।

न्यूनतम निष्पादन (हर्डल टास्क)

उपस्थिति और सहभागिता से न्यूनतम निष्पादन पूर्ण होता है। यूँ तो पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों को हर्डल कहा जा सकता है, किंतु कुछ पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये सीबीआईडी फील्डवर्क के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ***प्रशिक्षकों को मार्किंग गाइड बनाकर पुष्टि करनी चाहिए कि ये हर्डल आवश्यकताएँ पूरी की गई हैं।***

लेखन–कार्य (जर्नल टास्क)

लेखन–कार्यों के अंतर्गत संक्षिप्त, औपचारिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करनी होती है। इनमें सीबीआईडी के महत्वपूर्ण नियत कार्यों (टास्क) और उत्तरदायित्वों के निष्पादन से प्राप्त ज्ञान और प्रस्फुटित विचारों का सार दिया जाता है। ***प्रशिक्षकगण और नियोजन पर्यवेक्षकों को इन्हें पढ़कर ध्यान में रखना चाहिए और प्रशिक्षणार्थी ने कोई मुद्दा उठाया हो या चिंता प्रकट की हो तो उससे चर्चा करनी चाहिए।***

पोर्टफोलियो परियोजना (पोर्टफोलियो परियोजना)

पोर्टफोलियो परियोजना पूरे पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी के कार्य के साथ चलती है, जिसमें वह सरकारी दस्तावेजों, कार्य से संबंधित प्रोटोकॉल, मुद्दों से संबंधित संसाधनों और सीबीआईडी फील्डवर्क में सहायक साधनों को संग्रहित और नोट करते जाता है। इन प्रलेखों के संग्रहण और फाइलिंग की नियोजन पर्यवेक्षक द्वारा हर सप्ताह जाँच की जाएगी। इसके बाद प्रशिक्षणार्थी इनमें से कोई एक सब–सेट पोर्टफोलियो प्रस्तुति के लिए चुनेगा। केवल एक ही डॉक्यूमेंट डिजिटल या हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित चार का समावेश होगा –

1. संसाधन फोलियो जिसमें दिव्यांगता से संबंधित कानून, नीतियाँ, हक और उन्हें प्राप्त करने की कार्यविधि के बारे में सरकारी प्रलेख हों। **प्रशिक्षकगण मार्किंग गाइड तैयार कर पुष्टि करें कि ये संसाधन एकत्रित किए गए हैं और सही तरीके से फाइल किए गए हैं।**

2. प्रशिक्षणार्थी के स्थानीय समुदाय की निर्दिष्ट रिपोर्टिंग और रेफरल प्रोटोकॉल, #क में बताई गई नीतियों और कार्यविधियों के संबंध में। **प्रशिक्षकगण मार्किंग गाइड तैयार कर पुष्टि करें कि ये संसाधन एकत्रित किए गए हैं और सही तरीके से फाइल किए गए हैं।**

3. संसाधन और टूल्स – सीबीआईडी फील्डवर्क में सामने आए नौ (9) मुद्दों का चयन – तीन (3) समावेशी सामुदायिक विकास और समूहों तथा सामुदायिक क्षेत्रों के साथ कार्य करने के लिए, तीन (3) मूल्यांकन और पुनर्वास तथा व्यक्तियों और परिवारों के साथ कार्य करने के लिए, एवं तीन (3) व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास के लिए। पहचाने गए हर मुद्दे के लिए –

   क) अलग–अलग प्रकार के 2–3 संसाधनों और टूल्स की टिप्पणी युक्त सूची बनाएँ (कुल 18–27) :

   - समावेशी सामुदायिक विकास के लिए 6,
   - आकलन और हस्तक्षेप के लिए 6 तथा

- व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास के लिए 6

  संसाधनों और टूल्स के उदाहरणों में सूचना पत्रक, प्रश्नावली, गतिविधियाँ, फ्लैश कार्ड, वेबसाइट, पुस्तकें, मीडिया आदि शामिल किए जा सकते हैं।

उनके उपयोग के निर्दिष्ट संदर्भ हो सकते हैं–अलग–अलग सामुदायिक परिवेश, आयु समूह या दिव्यांगता; 1–1 या समूह संसाधन तथा उपकरण, या टीम तथा कार्यस्थल कार्यकरण को सपोर्ट करने वाले संसाधन तथा उपकरण।

ख) कृपया बताएँ कि इनमें से प्रत्येक संसाधन का आप अपनी भूमिका में कैसे/कब/क्यों उपयोग करेंगे। उत्तर देते समय अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) और प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिव) दोनों प्रकार के प्रयोगों पर विचार करें।

प्रशिक्षक और नियोजन पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा एकत्रित इन संसाधनों को पूरा पढ़कर जाँच करें कि वे प्रयोजन पूरा करते हैं और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त हैं।

4. *संक्षिप्त लिखित उत्तर*– व्याख्यात्मक टिप्पणी मैनुअल से लिए गए हैं। (कृपया ध्यान दें– इस पाठ्यक्रम की क्षमता–आधारित ज्ञानार्जन की प्रकृति यथावत् रखने के लिए स्व ज्ञानार्जन सामग्री (सेल्फ लर्निंग मटेरियल या एस एल एम) प्रशिक्षणार्थियों को न देकर प्रशिक्षकों/नियोजन पर्यवेक्षकों को *व्याख्यात्मक टिप्पणी* (एक्स्प्लेनेटरी नोट या ईएन) के रूप में दी जाती है ताकि वे संक्षिप्त उत्तर तैयार कर सकें और जाँच सकें। पोर्टफोलियो परियोजना का लिखित उत्तर खंड – भाग घ है)। ***प्रशिक्षकगण अपने के पी ए के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी मैनुअल देखें और अभ्यास से संबंधित प्रश्नावली तैयार करें, जिसमें सभी विषयों का समावेश हो। सुझाव है कि प्रति सप्ताह प्रति विषय पर 1–2 प्रश्न हों।*** उदाहरण के लिए एक प्रश्न आइसीडी 1.1.1.2 – समुदाय में विभेद (डाइवर्सिटी) को लेकर यह है –

   ''समुदाय के सभी व्यक्ति एक ही सांस्कृतिक या भाषायी पृष्ठभूमि के नहीं होते। उनकी 'कठिनाइयाँ' और 'हल के तरीके' अलग–अलग हो सकते हैं। क) ऐसी दो कठिनाइयों का पता लगाएँ जो आपके समुदाय के दिव्यांगजन के सामने संस्कृति, जातीय या भाषा भेद के कारण उपस्थित हो सकती हैं, ख) हर कठिनाई के हल का कोई अलग तरीका बताएँ, ग) आपके समुदाय के दिव्यांगजनों और परिवार की निश्चित प्रकार की सांस्कृतिक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको जिन उपायों की आवश्यकता हो सकती है, उनमें से किन्हीं दो का वर्णन एक या दो पैरा में कीजिए।

असाइनमेन्ट कार्य

समावेशी सामुदायिक विकास विषय के लिए तीन प्रमुख असाइनमेन्ट दूसरे और तीसरे चरण में किए जाते हैं। इन असाइनमेन्ट की आवश्यकताएँ और अनुदेश सत्र–योजना (सेशन–प्लान) में बताए जाते हैं। ये हैं –

1. पक्ष–पोषण अभियान तैयार और संचालित करना (दूसरा चरण, खंड 1) – 4 सप्ताह
2. पीआरए/पीएलए संचालित करना (दूसरा चरण खंड 2) – 4 सप्ताह
3. सामुदायिक समावेशी परियोजना संचालित करना (तीसरा चरण) – 8 सप्ताह

II. प्रत्येक चरण की समाप्ति पर और पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन (योगात्मक मूल्यांकन):

पहले और दूसरे चरण (पहले माह और चौथे माह) की समाप्ति पर पूरे चरण में प्रशिक्षणार्थी के निष्पादन का योगात्मक (सब जोड़कर) मूल्यांकन किया जाता है। इससे पता चलता है कि इस चरण में आवश्यक स्तर किस सीमा तक प्राप्त हुआ है, जिससे प्रशिक्षक निर्णय कर सकता है कि प्रशिक्षणार्थी अगले चरण में जाने के लिए तैयार है या वर्तमान चरण के कौशल को सुदृढ़ करने के लिए और समय की जरूरत है। तब पूरे पाठ्यक्रम की समाप्ति पर (तीसरे चरण – 6 माह – के अंत में) अंतिम योगात्मक मूल्यांकन कर तय किया जाता है कि प्रैक्टिस के लिए न्यूनतम क्षमता प्राप्त हुई है या नहीं।

यह योगात्मक मूल्यांकन हर मामले में एक जैसा होता है– प्रशिक्षक अपने पर्यवेक्षण और नियोजन के दौरान प्रशिक्षणार्थी के ज्ञान के आधार पर **बहुविकल्पी पर्यवेक्षीय रिपोर्टिंग टूल** की पूर्ति करते हैं। इस मूल्यांकन में प्राप्त अंकों से प्रशिक्षणार्थी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित स्तरों– प्रारंभक, प्रगत प्रारंभक, दक्ष या मानक से उच्च– में से कोई स्थान प्राप्त करता है।

पाठ्यक्रम का लक्ष्य है प्रशिक्षणार्थी को निर्धारित स्तरों तक धीरे–धीरे सफलतापूर्वक पहुँचने में सहायता करना– पहले चरण की समाप्ति तक प्रारंभक, दूसरे तक प्रगत प्रारंभक और तीसरे यानी पाठ्यक्रम पूरा होने तक प्रैक्टिस के लिए न्यूनतम क्षमता प्राप्त। प्रत्येक चरण की समाप्ति पर एक समान मूल्यांकन के दोहराव से प्रगति की वास्तविक स्थिति विश्वस्त रूप से पता चलेगी।

प्रमाण आधारित स्कोरिंग की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षणार्थी से क्या अपेक्षित है और किस स्तर का। प्रशिक्षणार्थियों को ये दिशानिर्देश पाठ्यक्रम के प्रारंभ में ही दे दिए जाते हैं और इनका नियमित रूप से संदर्भ दिया जाता है, क्योंकि इसका लक्ष्य है प्रशिक्षणार्थी जीवन पर्यन्त कुछ न कुछ सीखते रहें। उन्हें मालूम होता रहे कि वे किस प्रकार अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं और फिर क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।

तीन विषयों के पर्यवेक्षीय रिपोर्टिंग टूल और दिशानिर्देश तथा स्कोरिंग गाइड आगे के पृष्ठों पर है। (कृपया ध्यान रखें कि दिशानिर्देशों और स्कोरिंग गाइड में क्षमता संकेतक कठिनाई में आरोही क्रम में बढ़ते हैं और बढ़ती हुई प्रवीणता के तीन स्तरों का संकेत रंग की बढ़ती गहराई से किया गया है।)

हर चरण पूरा होने पर निर्धारित स्तर पर पहुँचने को अगले चरण के लिए उत्तीर्ण माना जाना चाहिए। पाठ्यक्रम पूरा होने पर यदि प्रशिक्षणार्थी प्रैक्टिस के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षमता प्राप्त न कर पाए तो उसे एक माह का फील्डवर्क और देना चाहिए ताकि वह अपने कौशल को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 'प्रैक्टिस के लिए सक्षम'स्तर प्राप्त कर सके।

'मानक से उच्च' स्तर की क्षमताओं का अर्थ है आवश्यक से अधिक योग्यताएँ। यह श्रेणी इसलिए प्रदान की जाती है कि इसे पाने वाला निरंतर सुधार के लिए प्रोत्साहित हो और उपाधि प्राप्त होने के बाद भी इसे जारी रखे। इसमें सहायता के लिए निरंतर ज्ञानार्जन के अवसर नियमित रूप से प्रदान किए जाने चाहिए।

प्रेक्षणमूलक रिपोर्टिंग टूल

(योगात्मक मूल्यांकन)

चरण 1, 2 और 3 पूरे होने पर इस टूल से प्रशिक्षणार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

अनुदेश – प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनें। आपके द्वारा चुना गया उत्तर या तो सीबीआईडी फील्डवर्क के निष्पादन से सबसे अधिक मिलता हुआ हो या आपके विचार में फील्डवर्कर जो कर सकता हो, उससे मिलता हुआ हो। यदि आपको लगे कि निष्पादन दो स्तरों के बीच का है तो निचले स्तर को चुनें। इससे मालूम हो जाएगा कि फील्डवर्कर उस स्तर पर तो पहुँच गया है, किंतु उससे अगले स्तर पर नहीं।

प्र.1. सामुदायिक विकास और सीबीआईडी की समझ है

क. समुदाय में समावेश के सिद्धान्तों और उसमें आने वाले अवरोधों को स्पष्ट करता है।

ख. दिव्यांगता के अनुभव और दिव्यांगता समावेशन पर पृष्ठभूमि से पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट करता है।

ग. समुदाय के नकारात्मक रुख और दृष्टिकोण का सामना करने के तर्क सोचता है।

घ. दिव्यांगता और समावेशन के बारे में समुदाय के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की तुलना करता है।

प्र 2. दिव्यांगता की दशा समझता है (परिभाषाएँ, कारण)

क. गलत और अंधविश्वास भरी बातों का खंडन कर दिव्यांगता के कारणों की व्याख्या कर सकता है।

ख. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता के मुख्य पहलू बताता है।

प्र 3. कानूनी प्रावधान समझता है

क. दिव्यांगता से संबंधित कानूनों, प्रावधानों और कार्यविधियों और उनसे जुड़ी बातों की व्याख्या करता है।

ख. स्थिति के अनुसार सही कानून और कार्यविधि बता सकता है।

ग. समुदाय की संरचना/प्रथाओं में कानून के अनुसार समायोजन/परिवर्तन को तर्कसंगत ठहराता है।

प्र4. पृष्ठभूमि (सामाजिक, आर्थिक, लिंग, जाति, धर्म संबंधी) में अंतर और उसके प्रभाव को समझता है

क. बता सकता है कि समुदाय के कौन–कौन से पहलू दिव्यांगजनों के समावेशन में साधक और बाधक हैं।

ख. स्थिति पर प्रभाव डालने वाले पहलुओं (सामाजिक–आर्थिक/लिंग/जाति/धर्म) के पारस्परिक प्रभाव को पहचानता है।

ग. विभिन्न समूहों के अलिखित आधारभूत नियमों का उपयोग करते हुए सभी के लाभ की बात करता है।

प्र 5. दिव्यांगताओं के बीच अंतर करता है

क. सुस्पष्ट दिव्यांगता (जैसे दृष्टि/श्रवण/स्पष्ट शारीरिक दिव्यांगता) में भेद करता है।

ख. कम स्पष्ट दिव्यांगता (जैसे वृद्धिशील दिव्यांगता, अन्य न्यूरालॉजिकल बीमारियाँ) पहचानता है।

ग. मानसिक बीमारियों की संभावना को पहचान कर उनका कारण बताता है।

प्र6. कार्यात्मक मूल्यांकन करता है

क. मूलभूत जाँचसूची अनुदेशों के अनुसार पूर्ण करता है।

ख. उपयुक्त जाँचसूची का चयन कर उपयोग करता है।

ग. मूल्यांकन की यथार्थता को प्रभावित करने वाली सभी स्थितियों पर ध्यान देता है।

प्र7. मूल्यांकन से प्राप्त तथ्यों को संप्रेषित करता है

क. कम जोखिम वाली जानकारी (जिसका सकारात्मक प्रभाव होता है/कोई प्रभाव नहीं होता) बिलकुल ठीक–ठीक देता है।

ख. संवेदशील जानकारी देते समय सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखता है।

ग. विरोध कर रहे हितधारकों के साथ विश्वासोत्पादक रूप से संप्रेषण करता है।

प्र8. पारिवारिक/संबंधों की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करता है

क. दिव्यांगजनों के परिवार तथा उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ संबंध में अपेक्षित सामाजिक मानदंड का पालन करता है।

ख. दिव्यांगजनों के परिवार तथा उनके साथ रहने वाले लोगों के प्रति सम्मान और सहयोग प्रदर्शित करता है।

ग. परिवार/रिश्तों से संबंधित महत्वपूर्ण/संवेदनशील पहलू समझता है।

घ. परिवार/रिश्तों की स्थिति की आवश्यकता के अनुसार तरीके में परिवर्तन करता है (जैसे निराशाजनक लगने वाली स्थिति को बदलने के लिए शक्ति आधारित दृष्टिकोण अपनाता है)।

प्र9. लक्ष्य और योजना निर्धारित करने के लिए पारिवारिक योग्यता और प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है

क. दिव्यांगजनों के परिवारों और उनके साथ रहने वाले लोगों से व्यवहार करते समय निदेशात्मक और कार्य–उन्मुख रीति से कार्य करता है।

ख. परिवारों/रिश्तेदारों में आपस में विचार–विमर्श को संभव बनाता है।

ग. परिवार/रिश्तों में मिलजुल कर निर्णय करने को संभव बनाता है।

घ. अपने व्यवहार का विश्लेषण कर अन्य व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करता है।

प्र10. आस्तियों, क्षमताओं और सबल पक्षों की पहचान करता है

क. शक्ति आधारित दृष्टिकोण जानता है।

ख. कार्यात्मक मूल्यांकन में आस्तियों और सबल पक्षों के बारे में प्रश्न शामिल करता है।

ग. व्यक्ति/परिवार के सबल पक्षों के बारे निष्कर्षों की व्याख्या करता है और उन्हें अपनी योजना में शामिल करता है।

प्र11. संचलन (मूवमेंट) और शारीरिक क्षमताएँ बढ़ाता है

क. स्वास्थ्यकर्मी द्वारा निर्धारित क्रियाकलाप/व्यायाम पूरा कराता है।

ख. गतिशीलता और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में सहायक उपकरणों का सही प्रयोग सुनिश्चित करता है।

ग. मकान में आने–जाने, चलने–फिरने को ज्यादा आसान बनाने के लिए मकान में सुधार का सुझाव देता है।

घ. व्यक्ति की समुदाय में (और परिवहन में भी) आवाजाही बढ़ाने को आसान बनाता है।

ङ. दिव्यांगों के चलने–फिरने को आसान बनाने वाली विश्व–स्वीकृत डिज़ाइन और प्रथाएँ पूरा समुदाय अपनाएँ, इस हेतु प्रयत्न करता है।

प्र12. सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास तथा शीघ्र ज्ञानार्जन में वृद्धि करता है

क. समुदाय में परिवार की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।

ख. शीघ्र सीखने के लिए उपलब्ध संसाधनों की परिवार को जानकारी देता है।

ग. विकास और ज्ञानार्जन के लिए परिवार में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग आसान बनाता है।

प्र13. सहायता और पुनर्वास के आधारभूत उकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण देता है

क. परिवार के सदस्यों को सरल तकनीकों (जैसे मानवीय गाइड) का प्रशिक्षण देता है।

ख. सहायक प्रौद्योगिकी (जैसे चलने–फिरने के उपकरण, संप्रेषण के उपकरण) के प्रयोग का प्रशिक्षण देता है।

ग. समुदाय के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करता है।

प्र14. व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ाता है

क. दैनिक कार्यो में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है।

ख. दैनिक कार्यो में आत्मनिर्भरता के लिए अकेले भी कार्य करता है।

ग. अधिक व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता के लिए परिवार के सदस्यों को सक्षम बनाता है।

घ. व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए व्यक्ति/परिवार के प्रतिरोध को दूर कर समस्याएँ सुलझाता है।

प्र15. संप्रेषण की अलग प्रकार की पद्धति द्वारा संप्रेषण

क. अलग–अलग तरह की दिव्यांगता/जरूरतों के लिए संप्रेषण के अलग–अलग रूप उदाहरण देकर समझाता है।

ख. जानकारी को जरूरत के अनुसार अन्य प्रकार से (जैसे एकल शब्द, अभिवादन) संप्रेषित करता है।

ग. संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों/रूपों में आधारभूत निपुणता को बढ़ाना चाहता है।

प्र16. लोगों को व्यावसायिक हस्तक्षेप/सेवाओं से जोड़ता है

क. दिव्यांगता प्रमाणन/यूडीडी सुनिश्चित करता है।

ख. आगे बढ़ाने के सही रास्तों की पहचान करता है और उपयुक्त होने पर संदर्भित करता है।

ग. जोखिमग्रस्त और संपर्क–दुर्लभ व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें संदर्भित करता है।

घ. प्रोफेशनल सेवाओं को गाँव तक लाने के लिए शिविर और अभियान में सहायता देता है।

प्र17. सामाजिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करता है

क. भावनात्मक कुशलक्षेम बढ़ाने के विभिन्न उपायों की व्यक्तियों तथा परिवार को जानकारी देता है।

ख. किसी खास जरूरत की पूर्ति के लिए भावनात्मक संबल देने वाले उपाय को लागू करता है।

ग. व्यक्ति या परिवार की जरूरतों का संपूर्ण मूल्यांकन कर भावनात्मक संबल प्रदान करता है।

घ. सामाजिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करते समय बाहरी घटकों (जैसे जाति, संस्कृति) का ध्यान रखता है।

प्र18. सही तरीके से सुनता है।

क. सुनता है और उत्तर में सलाह देता है।

ख. व्यक्तियों और परिवारों से बात करते समय सुनने के सीखे हुए उपायों का उपयोग करता है।

ग. कही और अनकही जानकारी पर पूरा ध्यान देता है और उपयुक्त उत्तर देता है।

प्र19. आवश्यक संबंध स्थापित करता है

क. गाँव के प्रमुख हितधारकों की जानकारी रखता है।

ख. योजना और खाका रणनीतिक रूप से बनाता है (जैसे स्कूल को अपेक्षाकृत निम्न हितधारक मानना)।

ग. समुदाय के साथ संबंध बनाने/सुदृढ़ करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत करता है।

घ. प्राधिकारियों (जैसे तहसील) से आवश्यक दिशानिर्देश प्राप्त करता है।

प्र20. दूसरों को जागरूक और प्रशिक्षित करता है

क. परिवारजनों को बताता है कि वे अपने दिव्यांग सदस्य की किस प्रकार सहायता करें।

ख. समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करता है कि वे अपने परिचित दिव्यांगजन के साथ किस प्रकार जुड़े / बातचीत करें।

ग. गाँव के कार्याधिकारियों को बताता है कि दिव्यांगजनों की सामान्य आवश्यकताओं के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं।

घ. बाहरी सेवा प्रदाताओं को बताता है कि दिव्यांगजनों की सामान्य आवश्यकताओं के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं।

प्र21. समुदाय के संसाधनों को समझता है

क. सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) को स्पष्ट रूप से समझाता है

ख. पीआर में सहभागिता कर सहयोग देता है

ग. समुदाय को पीआरए (मैपिंग) के बारे में मार्गदर्शन करता है

प्र22. समुदाय के संसाधनों के उपयोग को संभव बनाता है

क. परिवारों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने स्वयं के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करें।

ख. व्यक्तियों और परिवारों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन प्राप्त करने में सहायता करता है।

ग. समुदाय को इस बात के लिए मनाता है कि वे अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करें।

घ. बाह्य संसाधन गाँव में लाता है।

प्र23. संभावित नेतृत्वकर्ताओं की पहचान करता है

क. नेतृत्व के लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान (दिव्यांगजन स्वयं या परिवार अथवा समुदाय के सदस्य)।

ख. संभावित नेतृत्वकर्ताओं को प्रोत्साहित कर स्पष्ट करता है कि वे अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएँ।

ग. संभावित नेतृत्वकर्ताओं के लिए नेतृत्व कौशल का उदाहरण बनता है।

घ. अन्य लोगों में छिपे नेतृत्व के गुण को बाहर लाकर विकसित करता है।

प्र24. समूह और डीपीओ बनाने में सहायता करता है

क. पर्यवेक्षित समूह बनाने की प्रक्रिया बताता है।

ख. समूह स्थापित करने / डीपीओ बैठकें कराने में सहायता करता है।

ग. समूह को उनके हक और दायित्वों के बारे में बताता है।

घ. समूह को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रशिक्षण देता है।

ङ. अन्य संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ने में समूह की सहायता करता है।

प्र25. संबंधित जानकारी और प्रलेख साझा करता है

क. संबंधित प्रावधानों, योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रलेखों की जानकारी देता है।

ख. इस बारे में आँकड़े जुटाता है कि कितने दिव्यांगजन प्रावधानों के बारे में जानते हैं।

ग. गाँव के स्तर पर अनुपालन की रिपोर्ट भेजता है।

प्र26. समावेशन के लिए गाँव के अग्रणी लोगों के साथ चर्चा करता है

क. अग्रणी लोगों के साथ लगातार बातचीत करता है।

ख. स्थानीय अग्रणी लोगों के सहयोग से समावेशन बढ़ाने में सहायता करता है।

ग. समावेशी विकास में खंड स्तर के अग्रणी लोगों को शामिल करने के लिए स्वयं होकर उनसे बातचीत करता है।

घ. अग्रणी लोगों को बातचीत कर कैसे मनाया जाए, इस बारे में अन्य सीबीआईडी प्रशिक्षणार्थियों को सहयोग देता है और मॉडल बनाता है।

प्र27. व्यक्तियों और परिवारों को सामुदायिक समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है

- क. व्यक्ति और परिवार के समूह में शामिल होने को प्रभावित करने वाले पहलुओं की पहचान करता है और उन्हें प्राथमिकता देता है।
- ख. परिवार/व्यक्ति से सामुदायिक जीवन में शामिल होने के लिए आग्रह करता है/समझाता है।
- ग. सामुदायिक सहभागिता में बाधा डालने वाले विविध पहलुओं पर ध्यान देता है।

प्र28. समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस आयोजित करता है

- क. समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस मनाता है और उनमें शामिल होता है।
- ख. समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवसों का आयोजन डीपीओ और समुदाय के साथ–साथ करता है।
- ग. समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस/कार्यक्रम आयोजित करने में समुदाय/डीपीओ की सहायता करता है।

प्र29. भूमिका से जुड़ी आवश्यकताएँ पूरी करता है (जैसे कहीं भी किसी भी साधन से यात्रा के लिए तैयार रहता है, भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमि के समूहों के साथ कार्य करता है, समुदाय के लिए सबसे अधिक अनुकूल दिन और समय पर कार्य करता है)

- क. अपनी स्वयं की पृष्ठभूमि के कारण अपनी भूमिका के निर्वाह में आने वाली चुनौतियाँ समझता है और उनके मुकाबले के लिए तर्क खोजता है।
- ख. भरोसेमंद, उत्तरदायी, निष्पक्ष व्यवहार प्रकट करता है।
- ग. व्यक्ति/परिवार/समुदायों की जरूरत के अनुसार दृष्टिकोण अपनाता है।

प्र30. टीम में सक्रिय योगदान करता है

- क. मानता है कि टीम में हर प्रकार का कौशल महत्वपूर्ण होता है।
- ख. टीम के सकारात्मक योगदान में सहायता करता है।
- ग. टीम के विज़न और प्रयोजन का समर्थन करता है।

प्र31. विश्वसोत्पादक रूप से कार्य करता है

- क. दिए हुए कार्यों को बताए अनुसार पूरा करता है।
- ख. गोपनीय जानकारी किसी को नहीं बताता है।
- ग. भिन्न मत रखने वाले लोगों से व्यवहार करते समय निष्पक्षता दर्शाता है।

प्र32. दिव्यांगता का ज्ञान के स्रोत के रूप में सम्मान करता है

- क. समानता का व्यवहार करने के दिव्यांगजनों के अधिकार को अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है।
- ख. दिव्यांगता से उबर चुके लोगों को अपने अनुभव बताने और दिव्यांगों को सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है। उन्हें उचित स्थान देता है।
- ग. समुदाय से आग्रह करता है कि शक्ति आधारित दृष्टिकोण के साथ दिव्यांगों से जुड़े और उन्हें साथ लें।

प्र33. संबंधित कानूनी और नियामक ढाँचे में कार्य करता है

क. संबंधित कानूनों और आचरण संहिता/मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करता है।

ख. अपने कार्यों और बातचीत में शालीनता रखता है और सांस्कृतिक/प्रासंगिक मानदंडों का आदर करता है।

ग. मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया में नए विचार/प्रथा/संदर्भ जोड़ता है।

घ. अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि वे व्यवसाय में नैतिकतापूर्ण व्यवहार की जिम्मेदारी लें।

प्र34. स्वयं की सामाजिक–भावनात्मक कुशलक्षेम बनाए रखता है

क. अपनी भूमिका के संभावित भावनात्मक प्रभावों को पहचानता है।

ख. अपनी कुशलक्षेम का ध्यान रखता है और सहयोग मांगता है।

ग. व्यावसायिक प्रथा के अभिन्न अंग के रूप में अन्य लोग भी अपनी कुशलक्षेम बनाए रखें, इस हेतु उन्हें सहयोग करता है।

प्र35. सीबीआईडी के निष्पादन को और अच्छा बनाने के लिए निरंतर योजना बनाता है

क. ज्ञान और कौशल की कमी का पता लगाता है।

ख. ज्ञानार्जन के सुव्यवस्थित अवसरों का उपयोग करता है।

ग. भूमिका के स्तर और आवश्यकता के अनुसार ज्ञानार्जन को प्राथमिकता देता है।

घ. डिप्लोमा को अपेक्षानुसार पूरा करने की योजना बनाता है।

प्र36. कार्ययोजना बनाता है

क. निर्धारित फार्मेट में कार्य योजना बनाता है।

ख. अनपेक्षित घटना घटने/स्थिति पैदा होने पर कार्य योजना को संशोधित करता है।

ग. दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य की योजना बनाता है।

प्र37. रिपोर्ट लिखता है

क. मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट में तैयार करता है।

ख. जटिल रिपोर्टें पूर्ण करता है।

ग. रिपोर्टों को नई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है।

घ. रिपोर्टों में आँकड़ों/परिणामों की व्याख्या करता है।

निर्देश एवं अंक समंकन (स्कोरिंग) निर्देशिका

हर प्रश्न में क्षमता का क्रमशः विस्तार प्रकट होता है, इसलिए यदि कोई प्रशिक्षणार्थी किसी प्रश्न में सी लेवल पर पहुँचता है तो इसका मतलब है कि वह नीचे के दो लेवल पर पहुँच चुका/की है, इसलिए उस प्रश्न के लिए उसे 3 (ए+बी+सी) अंक मिलेंगे। आगे दी गई निर्देश एवं अंक समंकन निर्देशिका में कुल अंकों को मान्य निष्पादन क्षेत्र/स्तर में रखा जा सकता है, जिसमें इस समय प्रशिक्षणार्थी कार्य कर रहा हो।

	समुदाय की संरचना/प्रथाओं में कानून के अनुसार समायोजन/परिवर्तन को तर्कसंगत ठहरा सकता है					बाह्य संसाधन गाँव में लाता है		अग्रणी लोगों को बातचीत कर कैसे मनाया जाए, इस बारे में अन्य सीबीआईडी प्रशिक्षणार्थियों को सहयोग देता है और उदाहरण बनता है	गाँव के स्तर पर अनुपालन की रिपोर्ट भेजता है		अन्य लोगों में छिपे नेतृत्व के गुण को बाहर लाकर विकसित करता है	बाहरी सेवा प्रदाताओं को बताता है कि दिव्यांगजनों की सामान्य आवश्यकताओं के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं	**मानक से उच्च :** समुदाय से परे भी सीबीआईडी का संवर्धन करता है; परिवर्तित कानून और सरकारी प्रथाओं को आसान बनाता है	41-46
अभ्यास हेतु न्यूनतम क्षमता स्तर														
दिव्यांगता और समावेशन के बारे में समुदाय के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की तुलना करता है।)		विभिन्न समूहों के अलिखित आधारभूत नियमों का उपयोग करते हुए सभी के लाभ की बात करता है		प्राधिकारियों (जैसे तहसील) से आवश्यक दिशानिर्देश प्राप्त करता है	सामुदायिक सहभागिता में हर्डल डालने वाले विविध पहलुओं पर ध्यान देता है	समुदाय को इस बात के लिए मनाता है कि वे अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करें	समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस/कार्यक्रम आयोजित करने में समुदाय / डीपीओ की सहायता करता है	समावेशी विकास में खंड स्तर के अग्रणी लोगों को शामिल करने के लिए स्वयं होकर उनसे बातचीत करता है		अन्य संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ने में समूह की सहायता करता है	संभावित नेतृत्वकर्ताओं के लिए नेतृत्व कौशल का उदाहरण बनता है		**सक्षम :** सभी क्षेत्रों में समुदाय की पहुँच और समावेश बढ़ाने का समर्थन करता है; आवश्यक संसाधन और सेवाएँ प्राप्त करता है; दिव्यांगजनों के साथ रहने वाले लोगों और परिवारों की स्थानीय नेतृत्व की क्षमता का विकास करता है	26-40
समुदाय के नकारात्मक रुख और दृष्टिकोण का सामना करने के तरीके सोचता है			पीआर, के माध्यम से समुदाय का मार्गदर्शन करता है (मैपिंग)	समुदाय के साथ संबंध बनाने / सुदृढ़ करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत करता है						समूह को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रशिक्षण देता है		गाँव के कार्याधिकारियों को बताता है कि दिव्यांगजनों की सामान्य आवश्यकताओं के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं		
	स्थिति के अनुसार सही कानून और कार्यविधिलागू करता है	स्थिति पर प्रभाव डालने वाले पहलुओं (सामाजिक–आर्थिक/लिंग/जाति/धर्म) के पारस्परिक प्रभाव को पहचानता है				व्यक्तियों/परिवारों को सरकारी संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग करता है	परिवार/व्यक्ति से सामुदायिक जीवन में शामिल होने के लिए आग्रह करता है/समझाता है	स्थानीय अग्रणी लोगों के सहयोग से समावेशन बढ़ाने में सहायता करता है	इस बारे में आँकड़े जुटाता है कि कितने दिव्यांगजन प्रावधानों के बारे में जानते हैं	समूह को उनके हक और दायित्वों के बारे में बताता है			**उन्नत प्रारंभकर्ता :** समुदाय के समावेश के लिए तर्क प्रस्तुत करता है; समावेश हेतु समर्थन में शामिल होता है और व्यक्तियों तथा परिवार के सशक्तिकरण का समर्थन करता है	13-26
दिव्यांगता और दिव्यांगता समावेशन के अनुभव के बारे में पृष्ठभूमि से पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट करता है			पीआर में सहभागिता कर सहयोग देता है	रणनीतिक रूप से योजना और खाका बनाता है (जैसे स्कूल को अपेक्षाकृत निम्न हितधारक मानना)	परिवार/व्यक्ति से सामुदायिक जीवन में शामिल होने के लिए आग्रह करता है/समझाता है					समूह स्थापित करने / डीपीओ बैठकें कराने में सहायता करता है	संभावित नेतृत्वकर्ताओं को प्रोत्साहित कर स्पष्ट करता है कि वे अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएँ	समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करता है कि वे अपने परिचित दिव्यांगजन के साथ किस प्रकार जुड़े / बातचीत करें।		
	दिव्यांगता से संबंधित कानूनों, प्रावधानों और कार्य विधियों और उनसे जुड़ी बातों की व्याख्या करता है	बताता है कि समुदाय के कौन–कौन से पहलू दिव्यांगजनों के समावेशन में साधक और बाधक हैं			व्यक्ति और परिवार के समूह में शामिल होने को प्रभावित करने वाले पहलुओं की पहचान करता है और उन्हें प्राथमिकता देता है	परिवारों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने स्वयं के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करें			संबंधित प्रावधानों, योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रलेखों की जानकारी देता है			परिवारजनों को बताता है कि वे अपने दिव्यांग सदस्य की किस प्रकार सहायता करें	**अनुभवहीन :** सीबीआईडी के मूलभूत सिद्धान्तों और कार्यों के प्रति जागरूकता दर्शाता है; समावेश के अधिकार और हक के बारे में व्यक्तियों और परिवारों को सही–सही सूचना देता है	1-12
समुदाय में समावेश के सिद्धान्तों और उसमें आने वाले अवरोधों को स्पष्ट करता है			पीआरए/पीएलए को स्पष्ट रूप से समझाता है	गाँव के मुख्य हितधारकों की सूची बनाता है			समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवसों के आयोजन में सहभागिता करता है	अग्रणियों के साथ प्रेरक बातचीत करता है		पर्यवेक्षित समूह बनाने की प्रक्रिया बताता है				
अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	**समावेशी सामुदायिक विकास दिशानिर्देश और समंकन निर्देशिका**	
1.1 सामुदायिक विकास और सीबीआईडी की समझ है	1.2 कानूनी प्रावधान समझता है	1.3 पृष्ठभूमि के अंतरों और उनके प्रभावों को समझता है	2.3 समुदाय के संसाधनों को समझता है	2.1 समुदाय के साथ आवश्यक संबंध स्थापित करता है	2.9 व्यक्तियों और परिवारों को समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है	2.4 समुदाय के संसाधनों के उपयोग को संभव बनाता है	2.10 समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस आयोजित करता है	2.8 समावेशन के लिए गाँव के अग्रणी लोगों के साथ चर्चा करता है	2.7 संबद्ध सूचना साझा करता है और अनुपालन को रिकॉर्ड करता है	2.6 समूह और डीपीओ बनाने में सहायता करता है	2.5 संभावित नेतृत्वकर्ताओं की पहचान करता है	2.2 दूसरों को जागरूक और प्रशिक्षित करता है		
1. समझ संबंधी संरचना			2. समुदाय को संबद्ध करता है और विवरण तैयार करता है				3. सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है			4. समुदाय के नेतृत्व और कार्यों में सहयोग देता है				

	मानसिक बीमारी की पहचान करता है	मूल्यांकन की यथार्थता को प्रभावित करने वाली सभी स्थितियों पर ध्यान देता है					रिपोर्टों के आँकड़ों/परिणामों की व्याख्या करता है	शारीरिक अभिगम (एक्सेस) की वैश्विक डिज़ाइन और प्रथाओं को पूरे समुदाय द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रयास करता है					**मानक से उच्चः** समुदाय आधारित पुनर्वास की संभावनाओं को विस्तार देता है, गहन ज्ञान से सृजनात्मक उत्तर देता है	40-44
अभ्यास हेतु न्यूनतम क्षमता स्तर														
				अपने व्यवहार का विश्लेषण कर अन्य व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करता है	योजना में व्यक्ति और परिवार के बल संबंधी निष्कर्षों का अर्थ स्पष्ट करता है और इस बल को शामिल करता है	प्रोफेशनल सेवाओं को गाँव तक लाने के लिए शिविर और अभियान में सहायता देता है	रिपोर्टों को नई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है	समुदाय में प्रत्यक्ष आवाजाहीबढ़ाने में सहायता करता है		समुदाय के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करता है	आत्मनिर्भरता बढाने में परिवार के प्रतिरोध दूर करता है	संप्रेषण के विभिन्न साधनों में आधारभूत प्रवीणता बढ़ाने के लिए प्रयास करता है	**सक्षम :** व्यक्तियों के समावेश में बाधक अभिवृत्ति संबंधी और शारीरिक अवरोधों को दूर करने में शामिल होता है; पुनर्वास के लक्ष्यों में सहायता के लिए समुदाय की क्षमता निर्मित करता है; स्वयं के निष्पादन पर और उसमें सुधार के लिए चिंतन करता है	27-39
			विरोध कर रहे हितार्थियों को अपनी बात समझा सकता है	परिवार/रिश्तों में मिलजुल कर निर्णय करने को संभव बनाता है		जोखिमग्रस्त और संपर्क–दुर्लभ व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें संदर्भित करता है	जटिल रिपोर्ट पूर्ण करता है	मकान में आने–जाने, चलने–फिरने को ज्यादा आसान बनाने के लिए मकान में सुधार का सुझाव देता है	विकास और ज्ञानार्जन के स्थानीय संसाधनों के प्रयोग में परिवार की सहायता करता है					
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बताई गई 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के नाम और विवरण बताता है	विकासात्मक दिव्यांगताओं में भेद करता है	उपयुक्त जाँचसूची का चयन कर उपयोग करता है		परिवारों में आपस में विचार–विमर्श को संभव बनाता है		रेफरल के सही रास्ते जानता है और उपयुक्त रूप से रेफर करता है				सहायक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रशिक्षण देता है	अधिक व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता के लिए परिवार के सदस्यों को सक्षम बनाता है		**प्रगत प्रारंभकर्ता :** क्षमता–निर्माण के लिए परिवारों और व्यक्तियों के साथ मिल–जुल कर कार्य करता है; मध्यस्थता का ठीक–ठीक अंदाज लगा लेता है; दिव्यांग सहायक कार्यों में शक्ति आधारित दृष्टिकोण अपनाता है	14-26
			संवेदी सूचनाएँ सोच–विचार कर देता है		कार्यात्मक मूल्यांकन में आस्तियों और सबल पक्ष से संबंधित प्रश्न शामिल करता है			गतिशीलता और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में सहायक उपकरणों का सही प्रयोग सुनिश्चित करता है	शीघ्र सीखने के लिए उपलब्ध संसाधनों की परिवार को जानकारी देता है		रोजमर्रा के कामकाज में आत्मनिर्भरता के लिए अकेले भी कार्य करता है	आवश्यक होने पर वन–स्टेप जानकारी अन्य फार्मेट में संप्रेषित करता है		
		मूलभूत जाँचसूची अनुदेशों के अनुसार पूर्ण करता है				दिव्यांगता प्रमाणन / यूडीडी सुनिश्चित करता है	मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट में तैयार करता है		समुदाय में परिवार की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है	परिवार के सदस्यों को सरल तकनीकों (जैसे मानवीय गाइड) का प्रशिक्षण देता है	रोजमर्रा के कामकाज में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है		**अनुभवहीन :** सीबीआईडी कार्य के पहलुओं का समर्थन करता है; व्यक्तियों और परिवारों को अनुदेश और सलाह देता है; दिव्यांगता से संबंधित भ्रम दूर करता है	1-13
जानता है कि कौन से कारण दिव्यांगता पैदा करते हैं और कौन से नहीं	सुस्पष्ट दिव्यांगता में भेद करता है		कम से कम जोखिम वाली सही जानकारी प्रदान करता है	दिव्यांग व्यक्तियों और परिवारों से व्यवहार करते समय दिए गए निदेशों के अनुसार कार्य करता है	शक्ति आधारित दृष्टिकोण जानता है			फिजिकल थेरपिस्ट की सुझाई गतिविधियाँ अपनाता है				संप्रेषण के अलग–अलग रूप उदाहरण देकर समझाता है		
अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	आकलन और हस्तक्षेप दिशानिर्देश और समंकन निर्देशिका	
1.1 दिव्यांगता की दशा समझता है	1.2 दिव्यांगताओं के बीच अंतर करता है	2.1 कार्य संबंधी मूल्यांकन करता है	2.2 मूल्यांकन से प्राप्त तथ्यों को संप्रेषित करता है	2.3 परिवार को लक्ष्य और योजना तैयार करने में सहयोग करता है	2.4 आस्तियों, क्षमताओं और सबल पक्षों की पहचान करता है	3.1 लोगों को विशेषज्ञ सेवाओं से जोड़ता है	3.2 रिपोर्ट लिखता है	4.1 मूवमेंट और शारीरिक क्षमता बढ़ाता है	4.2 सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास बढ़ाता है	4.3 सहायक उपकरणों का प्रशिक्षण देता है	4.4 व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ाता है	4.5 संप्रेषण के भिन्न–भिन्न तरीकों का उपयोग करता है		
1. दिव्यांगता को समझता है		2. मूल्यांकन और योजना का दायित्व लेता है				3. लिंकेज/रेफरल में सहयोग करता है		4. बहुक्षेत्रीय मध्यस्थता प्रदान करता है						

			टीम के विज़न और प्रयोजन का समर्थन करता है	समुदाय से आग्रह करता है कि दिव्यांगता को शक्ति आधारित परिप्रेक्ष्य से संबंधित करें					अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि वेव्यवसाय में नैतिकतापूर् ण व्यवहार की जिम्मेदारी लें	डिप्लोमा को अपेक्षानुसार पूरा करने की योजना बनाता है	**मानक से उच्च** सीबीआईडी टीम में नेतृत्वकर्ता की भूमिका ग्रहण करता है; समुदाय में सशक्त पक्षपोषण करता है; विकास के अवसरों केलिए अपनी भूमिका से बढ़कर सक्रियता दिखाता है	41-46
अभ्यास हेतु न्यूनतम क्षमता स्तर												
	नए विचारों/प्रथाओं/ वर्तमान कार्यविधियों में नए आयाम शामिल करता है	भिन्न मत रखने वाले लोगों से व्यवहार करते समय निष्पक्षता दर्शाता है				परिवार/रिश्तों की स्थिति की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है	सामाजिक और भावनात्मक संबल प्रदान करते समय बाहरी घटकों (जैसे जाति और संस्कृति) का विचार करता है	दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य की योजना बनाता है	प्रोफेशनल प्रथा के अभिन्न अंग के रूप में अन्य लोगों कोउनकी कुशलक्षेम बनाए रखने के लिए उन्हें सहयोग करता है	ज्ञानार्जन के सुव्यवस्थित अवसरों का उपयोग करता है	सक्षम : स्थितियों की गहरी समझ के लिए उन पर चिंतन करता है; वैकल्पिक दृष्टिकोणों का आदर करता है; सुनिश्चित करता है कि योजनाएँ वास्तविक, महत्वाकांक्षी और अनुकूलनीय हैं	26-40
व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की जरूरत के हिसाब से दृष्टिकोणों को अनुकूलित करता है					कही और अनकही जानकारी पर पूरा ध्यान देता है और उपयुक्त उत्तर देता है	परिवार/रिश्तों से संबंधित महत्वपूर्ण/संवेदनशील पहलू समझता है	व्यक्ति और परिवार की आवश्यकताओं के समग्र मूल्यांकन के आधार पर भावनात्मक संबल प्रदान करता है	अनपेक्षित घटनाएँ/स्थितियाँ उत्पन्न होने पर कार्य–योजनाओं को अनुकूलित करता है				
सभी लोगों के साथ उत्तरदायी, निष्पक्ष व्यवहार करता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो	अपने कार्यों और बातचीत में शालीनता रखता है और सांस्कृतिक/प्रासंगिक मानदंडों का आदर करता है	गोपनीय जानकारी किसी को नहीं बताता है		दिव्यांगता भोग चुके लोगों को स्थान देता है और उनके विचार सुनकर उनका सहयोग लेता है					स्वयं के कुशलक्षेम की निगरानी करता है और आवश्यक होने पर सहयोग मांगता है		**उन्नत प्रारंभकर्ता** अन्योन्यक्रियात्मक शैली में सुधार के लिए सुविचारित उपाय अपनाता है; टीम के उत्तम कार्यों में सहयोग देता है; लोगों से व्यवहार करते समय सांस्कृतिक और प्रासंगिक बातों का ध्यान रखता है; गोपनीय बातों के लिए भरोसेमंद है	13-26
			टीम के सकारात्मक योगदान में सहायता करता है		व्यक्तियों और परिवारों से बात करते समय सुनने के सीखे हुए उपायों का उपयोग करता है		व्यक्तियों और परिवारों से बात करते समय सुनने के सीखे हुए उपायों का उपयोग करता है			सीबीआईडी भूमिका के स्तर और आवश्यकता के अनुरूप ज्ञानार्जन को प्राथमिकता देता है		
	संबंधित कानूनों और आचरण संहिता/मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करता/ तीहै			समानता का व्यवहार करने के दिव्यांगजनों के अधिकार को अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है		दिव्यांगजनों के परिवार तथा उनके साथ रहने वाले लोगों के प्रति सम्मान और सहयोग प्रदर्शित करता है				ज्ञान और कौशल में कमी को पहचान लेता है	**अनुभवहीन:** नियत कार्य पूरे करता है; मूलभूत अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ पूरी करता है; निष्पादन और ज्ञानार्जन संबंधी जरूरतों के बारे में विचार करता है; सीबीआईडी टीम के सदस्यों और दिव्यांग व्यक्तियों तथा परिवारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है	1-12
विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ कार्य में आने वाली चुनौतियों की सूची तैयार करता है		दिए हुए कार्यों को बताए अनुसार पूरा करता है	मानता है कि टीम में हर प्रकार का कौशल महत्वपूर्ण होता है		सुनता है और उत्तर में सलाह देता है	दिव्यांगजन के साथ रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों से संबंध बनाते समय अपेक्षित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है		निर्धारित फार्मेटों के अनुसार कार्य योजनाएँ तैयार करता है	भूमिका के निर्वहन में उन पर होने वाले भावनात्मक प्रभाव को पहचानता है			
अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास – निर्देश और अंक समंकन निर्देशिका	
1.1 भूमिका से जुड़ी आवश्यकताएँ पूरी करता है	1.2 संबंधित कानूनी और नियामक ढाँचे में कार्य करता है	1.3 विश्वसोत्पादक रूप से कार्य करता है	1.4 टीम में सक्रिय योगदान करता है	1.5 दिव्यांगता का ज्ञान के स्रोत के रूप में सम्मान करता है	1.6 सही तरीके से सुनता है	1.7 पारिवारिक/संबंधों की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करता है	1.8 सामाजिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करता है	2.1 कार्ययोजना बनाता है	2.2 स्वयं की सामाजिक–भावनात्मक कुशलक्षेम बनाए रखता है	2.3 सीबीआईडी के निष्पादन को और अच्छा बनाने के लिए निरंतर योजना बनाता है		
1. भूमिका से जुड़ी अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ पूरी करता है								2. नियत कार्य, कुशलक्षेम और निरंतर शिक्षा का प्रबंध करता है				

व्याख्यात्मक टिप्पणियां चरण–दर–चरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियों का मैनुअल प्रशिक्षकों के लिए संसाधन के समान है, जिससे वे प्रशिक्षणार्थी के पोर्टफोलियो असाइनमेन्ट के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थी शोध और अन्य लोगों से चर्चा कर मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रस्तुत करते हैं जो एक संसाधन के रूप में उन्हीं के पास रहते हैं।

नाम	चरण (–खंड) और सप्ताह				
	I	II-1	II-2	II-3	III
आकलन और हस्तक्षेप					
शीर्षक 1 दिव्यांगता को समझना	1				
शीर्षक 2 दिव्यांगता के कारण आने वाली बाधाएँ	1				
शीर्षक 3 दिव्यांगता और कामकाज पर उसका प्रभाव	1				
शीर्षक 4 दिव्यांगता के प्रतिदर्श (मॉडल)					
शीर्षक 5 समावेशी विकास					
शीर्षक 6 अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर	1				
शीर्षक 9 परिवार की संरचना	2				
शीर्षक 10 परिवार के पास जाते और बातचीत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें	2				
शीर्षक 11 स्क्रीनिंग का महत्व	2				
शीर्षक 12 जाँचसूचियों का चयन और प्रबंधन	3				
शीर्षक 13 परिणामों का निर्वचन	3				
शीर्षक 14 स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मामले की समीक्षा		5/6			
शीर्षक 15 परिवार की स्वीकृति		5/7			
शीर्षक 16 संसाधनों का खाका खींचना (मैपिंग)		5/7			
शीर्षक 17 सहभागितापूर्ण नियोजन		5			

नाम	चरण (–खंड) और सप्ताह				
	I	II-1	II-2	II-3	III
शीर्षक 18 परिवार की क्षमता		5			
शीर्षक 19 संप्रेषण	3		9		
शीर्षक 20 प्रमाणपत्र और उन्हें प्राप्त करने का तरीका	2/3		9		
शीर्षक 22 रेफरल– सिंगल विंडो सर्विस सिंगल विंडो सेवा का प्रावधान					20
शीर्षक 23 सीबीआईडी मैट्रिक्स	4				
शीर्षक 24 समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप			9		17
शीर्षक 25 हस्तक्षेप उपचारात्मक चिकित्सा एवं वैकल्पिक					17
शीर्षक 26 बच्चे का विकास	4		9		
शीर्षक 27 बहुविषयी टीम की भूमिका	4				
शीर्षक 28 सर्वांगीण विकास के कौशल				13	
शीर्षक 29 दिव्यांगजन सहायता योजना (एडीआईपी)	4			14	
शीर्षक 30 स्थानीय उपकरण					17/21
शीर्षक 31 मरम्मत और रखरखाव					22
शीर्षक 32 अभिमुखीकरण एवं संचलन				13	
शीर्षक 33 संपूर्ण संप्रेषण				13	
शीर्षक 34 वैकल्पिक एवं संवर्धी संप्रेषण				13	
शीर्षक 35 मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे					17
शीर्षक 36 मानसिक स्वास्थ्य					17
शीर्षक 37 समायोजन चक्र एवं संभार तंत्र (कोपिंग मैकेनिज्म)					17/18
व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास					
शीर्षक 1 सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्व	1				
शीर्षक 2 सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका की सीमाएँ	1				
शीर्षक 3 व्यक्तिगत संरचना (फ्रेमवर्क) का भूमिका पर प्रभाव	2/4				
शीर्षक 4 कार्यस्थल के कानून और नीतियाँ	2/3				
शीर्षक 5 आचार संहिता, सहमति और गोपनीयता	3				
शीर्षक 6 रिपोर्टिंग के फार्मेट	3		9	14	
शीर्षक 7 कामकाज के लक्ष्य	4				
शीर्षक 8 सीबीआईडी टीम	4				

नाम	चरण (–खंड) और सप्ताह				
	I	II-1	II-2	II-3	III
शीर्षक 9 कार्यस्थल पर सुरक्षा	4				17
शीर्षक 10 महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम	4				17/19
शीर्षक 11 निवारक व्यवस्था		5			
शीर्षक 12 संप्रेषण कौशल		5/7			
शीर्षक 13 समूह अंतःक्रियाएँ		5			
शीर्षक 14 समूह गतिशीलता		8			
शीर्षक 15 नकारात्मक उत्तरों से निपटना		8			22
शीर्षक 16 विमर्शात्मक नियोजन			9/11		
शीर्षक 17 समय प्रबंधन और समय पर रिपोर्टिंग			10/11	13	18
शीर्षक 18 आपदाओं से निपटने की तैयारी			12		18
शीर्षक 19 बैठक की रिपोर्टें				14	19
शीर्षक 20 मामला अध्ययन तैयार करना	2			15/16	
शीर्षक 21 नकारात्मक परिणामों से निपटना				16	20
शीर्षक 22 भावनात्मक स्वास्थ्य और नकारात्मक भावों से निपटना				16	19/22
शीर्षक 23 सुरक्षित यात्रा					17
शीर्षक 24 स्व–मूल्यांकन एवं सतत अधिगम					19/20/21
समावेशी सामुदायिक विकास					
प्रकरण 1 सीबीआईडी अवधारणा और निहितार्थ	1				
प्रकरण 2 दिव्यांगता के प्रतिदर्श (मॉडल)	1				
प्रकरण 3 समावेशी सामुदायिक विकास को संबल देने वाले सरकारी कार्यक्रम	2				
प्रकरण 4 समुदाय को जोड़ने के लिए सहभागिता और आस्ति आधारित दृष्टिकोण	3/4	5			
प्रकरण 5 सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन/अधिगम और कार्य (पीआरए/पीपीएलए)	3		9		
प्रकरण 6 सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना	4	5/7		13	
प्रकरण 8 समुदाय के कार्यों में सहयोग		5/7/8		13	18–22
प्रकरण 9 स्थानीय नेतृत्व एवं समूह				13	23/24

असाइनमेन्ट और नियत कार्य – चरण–दर–चरण

पहला चरण

समावेशी सामुदायिक विकास (आईसीडी)

1. पहला सप्ताह – 1.1.1.3. जर्नल कार्य – आपके स्थानीय संदर्भ में विविधता (डाइवर्सिटी) का खाका तैयार करें।
2. पहला सप्ताह – 1.1.2.3. जर्नल कार्य – आपके स्थानीय संदर्भ में दिव्यांगता और अवरोधों (बैरियर्स) के प्रतिदर्शों की पहचान करें।
3. दूसरा सप्ताह – 1.2.1.2/ 1.2.2.2 पोर्टफोलियो – समावेशी सामुदायिक विकास के बारे में सरकारी नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की फाइल बनाना शुरू करें।
4. तीसरा सप्ताह – 2.2.1.2 जर्नल कार्य – प्रशिक्षण केंद्र के संसाधनों की सूची बनाएँ।
5. तीसरा सप्ताह – 2.2.2.2 पोर्टफोलियो (निरंतर) – एक जाँच सूची बनाना और उसका प्रयोग कर सुनिश्चित करना कि बैठक की रिपोर्टें सहभागितापूर्ण रहे।
6. चौथा सप्ताह – 2.2.3.2. पोर्टफोलियो (जारी) – स्थानीय संदर्भ में सीबीआईडी के सभी कार्यो में दिव्यांगजनों की सहभागिता में सहायक स्थानीय दिशानिर्देश तैयार करना
7. चौथा सप्ताह – 3.1.1.1 हर्डल–त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का वृक्ष– आरेख (ट्री डाइग्रैम) बनाना

ए एंड आई

1. सप्ताह 1–2; 1.2.1.1/2 जर्नल कार्य–समावेशी परिवेश के दौरों से संबंधित शीटों को भरें
2. पहला सप्ताह –1.1.3.2 जर्नल कार्य– स्वयं के समुदाय में दिव्यांगता का परिवार पर प्रभाव
3. पहला सप्ताह – 1.2.2.1 जर्नल कार्य– स्वयं के समुदाय के परिवारों में व्याप्त विविधता (डाइवर्सिटी)

4. दूसरा सप्ताह – 1.2.2.2 पोर्टफोलियो – दिव्यांगजनों को सरकार की ओर से प्राप्त हक तथा उनके लिए बनाई गई योजनाओं का ब्योरा
5. दूसरा सप्ताह – 2.2.1.1 पोर्टफोलियो – दिव्यांगता स्क्रीनिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन दिव्यांगता निर्धारण अनुसूची 2.0 निर्धारण उपकरणों की सूची
6. दूसरा सप्ताह – 1.3.1.1 संबंधित सरकारी विभागों के दौरे से संबंधित शीटों को भरें
7. तीसरा सप्ताह – 2.2.1.2 प्रशिक्षण केंद्र के आसपास की बस्ती में स्क्रीनिंग जाँचसूची का परीक्षण
8. तीसरा सप्ताह – 2.3.1.2 हर्डन–इन–क्लास जाँचसूची मूल्यांकन में अंक देना और निर्वचन करना
9. तीसरा सप्ताह – 3.2.1.1/3.2.2.1 पोर्टफोलियो – दिव्यांगता प्रमाणन प्रलेख और आवदेन पत्र की कार्यविधि का ब्योरा फाइल करना
10. चौथा सप्ताह – 4.1.1.2 हर्डल–अपवर्जन (एक्सक्लूज़न) को रोकने के लिए सीबीआर मैट्रिक्स का प्रयोग
11. चौथा सप्ताह – 4.2.1.1 पोर्टफोलियो – विकासात्मक अवस्थाएँ और विकास में विलंब की जाँचसूची
12. चौथा सप्ताह – 3.3.1.1 पोर्टफोलियो–बहुविषयी टीम के विभिन्न विशेषज्ञों को प्रलेख भेजने की प्रक्रियाएँ

पी बी एंड आर पी

1. पहला सप्ताह – 1.1.2.1 जर्नल कार्य – सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका की सीमाएँ
2. दूसरा सप्ताह – 1.1.3.1 जर्नल कार्य – व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के साधक और बाधक पहलू
3. दूसरा सप्ताह – 1.2.1.1 जर्नल कार्य – बाल संरक्षण कानून
4. तीसरा सप्ताह – 1.2.1.2 पोर्टफोलियो – जोखिम मूल्यांकन का ब्योरा फाइल करना
5. तीसरा सप्ताह – 1.2.2.1 पोर्टफोलियो – आचार संहिता का ब्योरा फाइल करना
6. चौथा सप्ताह – 1.3.1.2 हर्डल–पुनर्वास स्टाफ और उनकी भूमिकाओं की जाँचसूची

दूसरा चरण खंड 1

आई सी डी

1. पाँचवाँ सप्ताह : 2.1.2.2 – पोर्टफोलियो परियोजना (जारी) : प्रेरक कहानियाँ लेखबद्ध करना
2. पाँचवाँ सप्ताह : 3.1.1.2 – पोर्टफोलियो परियोजना : सरकारी सेवाओं की सुपुर्दगी के बारे में द्वितीयक डेटा एकत्रित कर निर्वचन (इंटरप्रेट) करना
3. पाँचवाँ सप्ताह : 3.1.2.2 – असाइनमेन्ट– पक्षपोषण अभियान और आईईसी सामग्री
4. छठा सप्ताहः 2.1.2.2 – पोर्टफोलियो परियोजना : प्रेरक कहानियाँ लेखबद्ध करना
5. सातवाँ सप्ताह : 3.1.1.2 पोर्टफोलियो परियोजना (जारी) : सेवा– सुपुर्दगी का डेटा एकत्रित करने का साधन (तैयार करना)
6. सातवाँ सप्ताहः 3.1.2.2 असाइनमेन्टः आईईसी सामग्री और पक्षपोषण अभियान
7. आठवाँ सप्ताहः 3.2.2.2 – पोर्टफोलियो कार्य : एकत्रित डेटा में सरकारी अनुपालन दिखाने वाले मामला अध्ययन और कहानियाँ
8. आठवाँ सप्ताह : 3.1.2.2 – असाइनमेन्ट (जारी.) : आईईसी सामग्री और पक्षपोषण अभियान

ए एंड आई

1. पाँचवाँ सप्ताह : 2.2.2.2 समूह हर्डल – स्थानीय समुदाय की स्क्रीनिंग (छठे सप्ताह की तैयारी)
2. पाँचवाँ सप्ताह : 2.4.1.1 – पोर्टफोलियो परियोजना : मामला रिकॉर्ड प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए मामले की समीक्षा
3. पाँचवाँ सप्ताहः 4.2.1; 2.4.2.2 – हर्डल कार्य – परिवार में दिव्यांगता की स्वीकृति
4. पाँचवाँ सप्ताह : 2.5.1.1; 2.5.2.1 – जर्नल कार्य–शक्ति आधारित विधियाँ– परिवार के संसाधनों और आर्थिक स्थिति की मैपिंग
5. छठा सप्ताह : 2.1.2.2 – हर्डल कार्य – उत्तम कामकाजी संबंध बनाना
6. छठा सप्ताह : 2.2.2.2 – हर्डल कार्य – स्थानीय समुदाय का स्क्रीनिंग सर्वे
7. सातवाँ सप्ताह : 2.5.1.2 पोर्टफोलियो परियोजना : व्यक्ति और परिवार के सपोर्ट नेटवर्क की मैपिंग (ईको–मैप)
8. सातवाँ सप्ताह : 22.5.2.2 पोर्टफोलियो परियोजना : पुनर्वास आवश्यकताओं की मैपिंग (संसाधन मैप)
9. आठवाँ सप्ताहः 2.6.2.1 – हर्डल कार्य – माता–पिता और अन्य हितधारकों को संबद्ध करना

पीबी एंड आरपी

1. पाँचवाँ सप्ताह : 1.2.3.1 – पोर्टफोलियो परियोजना : निवारक व्यवस्थाएँ – बाल संरक्षण एजेंसियों की भूमिकाएँ
2. पाँचवाँ सप्ताहः 1.3.3.1 – जर्नल कार्य – संप्रेषण कौशल
3. पाँचवाँ सप्ताहः 1.3.2.1 – जर्नल कार्य– समूह अंतः क्रियाएँ
4. छठा सप्ताहः 1.2.3.2 – पोर्टफोलियो परियोजना : व्यावहारिक सत्र (दौरे) और निवारक प्रलेख फाइल करना
5. सातवाँ सप्ताहः 1.3.3.3 समूह हर्डल – संप्रेषण कौशल : सामुदायिक स्वास्थ्य संदेशों की प्रस्तुति की तैयारी
6. आठवाँ सप्ताहः 1.2.2.2 – हर्डल कार्य– गोपनीयता परीक्षण।

दूसरा चरण खंड 2

आई सी डी

1. नौवाँ सप्ताह : 2.2.4.1 असाइनमेन्ट – पीआरए : भूमिका, दृश्य उपकरण; कार्य–योजना–लेखन
2. दसवाँ सप्ताह : 2.2.4.1 असाइनमेन्ट – पीआरए जारी
3. ग्यारहवाँ सप्ताह : 2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट जारी
4. बारहवाँ सप्ताह : 2.2.4.1 पीआरए असाइनमेन्ट जारी

ए एंड आई

1. नौवाँ सप्ताह : 3.2.2.2 हर्डल कार्य – पूर्णता प्रमाणन
2. नौवाँ सप्ताह : 3.3.1.3 पोर्टफोलियो – रेफरल मार्ग – पुनर्वास में सहायता के लिए संसाधन निदेशिका
3. ग्यारहवाँ सप्ताह : 3.3.1.3 पोर्टफोलियो (जारी) – पुनर्वास संसाधन निदेशिका और रेफरल मार्ग
4. बारहवाँ सप्ताह : 4.8.1.1 पोर्टफोलियो – हस्तक्षेप से प्रगति का निरंतर और योगात्मक मूल्यांकन
5. बारहवाँ सप्ताह : 4.2.1.2 हर्डल और जर्नल – प्रारूपिक रूप से विकसित हो रहे बच्चे पर विकासात्मक विलंब जाँच सूची का प्रयोग

दूसरा चरण खंड 3

ए एंड आई

1. तेरहवाँ सप्ताह : 4.4.2.1 हर्डल – एडीएस कार्य – कार्य विश्लेषण
2. चौदहवाँ सप्ताह : 4.3.1.2 पोर्टफोलियो – सहायक और पुनर्वास उपकरणों की फिटिंग और प्रशिक्षण के लिए एडीआईपी फॉर्म
3. पंद्रहवाँ सप्ताह : 4.8.1.2 पोर्टफोलियो – निरंतर और योगात्मक मूल्यांकन करना और फाइल करना
4. पंद्रहवाँ सप्ताह : 4.4.2.2 हर्डल – एडीएल कौशल के शिक्षण का प्रदर्शन
5. सोलहवाँ सप्ताह : 4.4.2.2 हर्डल जारी – एडीएल कौशल का शिक्षण

आई सी डी

1. तेरहवाँ सप्ताह : 3.2.1.3 असाइनमेन्ट – सरकारी अधिकारियों को लिखना
2. तेरहवाँ सप्ताह : 3.2.3.2 असाइनमेन्ट – सरकारी अनुपालन में कमियों का विश्लेषण
3. तेरहवाँ सप्ताह : 4.1.1.2 असाइनमेन्ट – परिवर्तन का सिद्धांत
4. तेरहवाँ सप्ताह : 4.1.2.1 जर्नल कार्य – सशक्तिकरण में सहायता
5. तेरहवाँ सप्ताह : 4.1.2.3 जर्नल कार्य – सशक्तिकरण का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग
6. तेरहवाँ सप्ताह : 4.1.2.2 असाइनमेन्ट – प्रेरक कहानी सुनाना
7. चौदहवाँ सप्ताह : 3.2.1.3 असाइनमेन्ट जारी – सरकारी अधिकारियों को लिखना
8. चौदहवाँ सप्ताह : 3.2.3.2 असाइनमेन्ट जारी – सरकारी अनुपालन में कमियों का विश्लेषण
9. चौदहवाँ सप्ताह : 4.1.2.3 जर्नल कार्य – सशक्तिकरण का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग

6\. पंद्रहवाँ सप्ताह : 4.2.1.2 असाइनमेन्ट – स्थानीय एजेंसियों की गाइड बुक तैयार करना

7\. सोलहवाँ सप्ताह : 4.2.2.1 जर्नल – मिल–जुलकर कार्य करने की चुनौतियों का हल खोजना

8\. सोलहवाँ सप्ताह : 4.2.2.2 जर्नल – चुनौतियों के हल संबंधी बातचीत को लेखबद्ध करना

पीबी एंड आरपी

1. चौदहवाँ सप्ताह : 2.3.1.2 हर्डल – विभिन्न रिकॉर्ड रखने के लिए फॉर्म तैयार करना
2. सोलहवाँ सप्ताह : 2.3.3.2 पोर्टफोलियो – मामला अध्ययन तैयार करना – स्वीकृति लेना

तीसरा चरण

ए एंड आई

1. सत्रहवाँ सप्ताह : 4.6.1.1 पोर्टफोलियो – समुदाय के मानसिक बीमार लोगों की सहायता के संसाधन
2. सत्रहवाँ सप्ताह : 4.3.2.1 पोर्टफोलियो – सहायक उपकरण स्थानीय स्तर पर बनाना
3. अठारहवाँ सप्ताह : 4.7.1.2 जर्नलस – परिवार में हस्तक्षेप के बारे में विचार
4. अठारहवाँ सप्ताह : 4.7.2.2 जर्नल – परिवार के संभार तंत्र (कोपिंग मैकेनिज़्म) को लेखबद्ध करना
5. बाईसवाँ सप्ताह : 4.4.2.3 पोर्टफोलियो – एडीएल प्रशिक्षण योजना तैयार करना
6. तेईसवाँ सप्ताह : 4.5.2.3 पोर्टफोलियो – वैकल्पिक संप्रेषण बोर्ड तैयार करना

पीबी एंड आरपी

1. सत्रहवाँ सप्ताह : 3.1.2.2 पोर्टफोलियो – महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम
2. सत्रहवाँ सप्ताह : 2.1.1.3 पोर्टफोलियो और जर्नल – एक सप्ताह की कार्य–योजना तैयार करना
3. उन्नीसवाँ सप्ताह : 3.2.1/3.2.2 पोर्टफोलियो – स्व – मूल्यांकन एवं निरंतर अधिगम

आईसीडी

1. सत्रहवाँ सप्ताह : 4.2.3 असाइनमेन्ट – समुदाय परियोजना
2. सत्रहवाँ सप्ताह : 3.1.2.3 असाइनमेन्ट – पक्ष–पोषण (एड्वोकेसी) प्रस्तुति
3. सत्रहवाँ सप्ताह : 3.1.2.4 असाइनमेन्ट – परिवर्तन सिद्धांत का निर्धारण
4. अठारहवाँ सप्ताह : 4.2.3 असाइनमेन्ट – समुदाय परियोजना
5. उन्नीसवाँ सप्ताह : 4.2.3 असाइनमेन्ट – समुदाय परियोजना
6. बीसवाँ सप्ताह : 3.1.2.3 असाइनमेन्ट – पक्ष–पोषण (एड्वोकेसी) प्रस्तुति
7. बीसवाँ सप्ताह : 4.2.3 असाइनमेन्ट – समुदाय परियोजना
8. इक्कीसवाँ सप्ताहः 4.2.3 असाइनमेन्ट – समुदाय परियोजना
9. बाईसवाँ सप्ताहः 4.2.3 असाइनमेन्ट – समुदाय परियोजना

भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
भारत सरकार
बी–22, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली–110016
टेलि फोन: **+91-11-26532408, 26534287**; फैक्स: **+91-11-26534291**
ई–मेल: **rci-depwd@gov.in**
वेबसाईट: **www.rehabcouncil.nic.in**

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)